मध्यप्रदेश पंचायिका

मई *2012*

संपादकीय परिवार

विश्वमोहन उपाध्याय

राकेश गौतम

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल

भोपाल-462011

फोन : *2764742, 2551330*

फैक्स : *0755-4228409*

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

विगत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ भंडारण व्यवस्था का जायजा लिया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।

खास खबरें : मुख्यमंत्री ने लिया गेहूँ भंडारण का जायजा *03*

महत्वपूर्ण खबरें : आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रेन बैंक खुलेंगे *10*

पुस्तक चर्चा : किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य पर उपयोगी दो पुस्तकें *12*

आवरण कथा : समीक्षा से विकास की निरन्तरता पर निगरानी संभव *13*

कानून-चर्चा : ग्राम पंचायत क्षेत्र में भवनों के निर्माण की अनुमति *18*

दृश्य-परिदृश्य : मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आमंत्रित किया *19*

विभागीय गतिविधियाँ : वरिष्ठजन के हित में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन *21*

विशेष : विकास की ललक ने बदला जिन्दगी का दस्तूर *25*

उपलब्धि : सुअर पालन से हुआ आर्थिक विकास *27*

पंचायत गजट : प्रिया साफ्टवेयर की ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन *31*

योजना : खेतिहर श्रमिकों के लिये मजदूर सुरक्षा योजना *41*

प्रशिक्षण : जनपद पंचायत की स्थाई समिति की बैठक *43*

खेती-किसानी : रिक्त भूमि पर यूकेलिप्टस पौधे लगायें *45*

आपकी बात : पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने के उपाय हों *47*

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठकों,

मध्यप्रदेश में इस वर्ष गेहूँ का रिकार्ड उत्पादन किया गया है। अधिक उत्पादन के कारण गेहूँ के भंडारण की समुचित व्यवस्था का कार्य सुचारू रूप से प्रदेश के समस्त भागों में चल रहा है। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं प्रदेश के विभिन्न भागों में जाकर गेहूँ के भंडारण में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। इसी खबर को हमने खास खबर स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। इन जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागीय समीक्षा तथा उनकी निगरानी का कार्य समीक्षा बैठक के रूप में प्रत्येक तीन माह में किया जाता है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त विभागों की समीक्षा बैठक एवं उनके द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। इसी जानकारी को हमने आवरण कथा स्तम्भ अंतर्गत प्रकाशित किया है। ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण की अनुमति की प्रक्रिया क्या होगी इस जानकारी को कानून चर्चा स्तम्भ के अंतर्गत संजोया गया है। प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के विकास के लिये किये जाने वाले विभिन्न आयोजनों की जानकारी को दृश्य-परिदृश्य स्तम्भ के अंतर्गत संकलित किया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी व उनकी गतिविधियों के संकलन को विभागीय गतिविधियां स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया जा रहा है।

विकास के कार्यों से सतना जिले के डकैत प्रभावित इलाकों में जिन्दगी के दस्तूर को बदलने की कथा को विशेष स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। उपलब्धि स्तम्भ में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। राज्य सरकार का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ई-पंचायत के माध्यम से पंचायतों में प्रयुक्त किये जाने वाले प्रिया साफ्टवेयर के प्रयोग एवं उससे प्रशिक्षण संबंधी निर्देशों को पंचायत गजट स्तम्भ में प्रकाशित किया गया है। इस माह योजना स्तम्भ के अंतर्गत खेतिहर श्रमिकों के लिये चलाई जा रही मजदूर सुरक्षा योजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है जबकि प्रशिक्षण स्तम्भ के जरिये जनपद पंचायत की स्थाई समितियों की बैठक आयोजित करने की जानकारी को संकलित किया गया। किसानों द्वारा गेहूँ कटाई व उसके भंडारण के बाद खाली पड़ी भूमि पर कौन-कौन से कार्य किये जा सकते हैं इस जानकारी को खेती-किसानी स्तम्भ में समाहित किया गया है। और अंत में आपके पत्रों को आपकी बात स्तम्भ में हमेशा की तरह प्रकाशित किया गया है। ये पत्र हमें अपनी गलतियों एवं योजनाओं के फीडबैक देते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो आपके सुझावों का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

मुख्यमंत्री ने लिया गेहूँ भंडारण का जायजा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूँ की सायलो बैग में की गई भंडारण व्यवस्था एवं प्रयोगशाला में गेहूँ की जांच और नापतौल प्रक्रिया का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सायलो पद्धति द्वारा गेहूँ भंडारण व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि आने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने *31* मई को होशंगाबाद जिले के बाबई में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये गेहूँ का सायलो बैग में किये जा रहे भंडारण की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी किसानों का गेहूँ *31* मई को ही खरीद लिया जाए। उन्होंने किसानों की संख्या अधिक होने पर शाम को टोकन प्रदाय कर गेहूँ क्रय करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम आँचलखेड़ा के कृषक दीपक शर्मा से चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बाबई पहुँच कर किसान के गेहूँ तुलाई की जानकारी प्राप्त कर तौल-कांटे के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सायलो बैग कैम्पस की प्रयोगशाला में गेहूँ की जाँच तथा नापतौल प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कैम्पस में गेहूँ के फीडर पाइन्ट, सायलो ट्राली में जाने वाले गेहूँ और वहाँ से ओगर द्वारा सायलो ट्राली में डाले जाने वाले तथा बैग फीडिंग पाइंट का अवलोकन कर सायलो पद्धति से किये जा रहे गेहूँ के सुरक्षित भंडारण पर संतोष जताया। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्ष में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू कर सभी किसानों का गेहूँ पूरे संकल्प के साथ खरीदा जायेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे आगामी खरीफ के लिए खाद का उठाव करें।

जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि यहाँ पर अभी तक किसानों के *15* हजार मीट्रिक टन गेहूँ का भंडारण किया जा चुका है तथा *25* हजार मीट्रिक टन गेहूँ और रखा जाएगा। संभागायुक्त श्री अरुण तिवारी ने संभाग में *15* लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीदी की जानकारी दी। कंपनी के संचालक श्री अनिल कांडा ने सायलो बैग में भंडारित हो रहे गेहूँ के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के. मिश्रा, विधायक सर्वश्री गिरिजाशंकर शर्मा, विजयपाल सिंह, ठाकुरदास नागवंशी और अधिकारी उपस्थित थे।

सायलो बैग के उपयोग में मध्यप्रदेश अव्वल

मध्यप्रदेश गेहूँ भंडारण में सायलो बैग के उपयोग की दृष्टि से देश का प्रथम प्रांत बनेगा। इसके साथ ही देश में गेहूँ के उत्पादन में पंजाब के बाद द्वितीय क्रम पर होने के कारण मध्यप्रदेश में भंडारण की जरूरतों के मुताबिक बारदानों की आपूर्ति न होने की समस्या का आंशिक हल भी निकल आएगा। मध्यप्रदेश में पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर दो जिलों, रायसेन और होशंगाबाद में सायलो बैग का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि साउथ अमेरिका में अधिकता से प्रयुक्त होने वाले सायलो बैग की क्षमता *2000* क्विंटल प्रति बैग है। मध्यप्रदेश में करीब *50* हजार मीट्रिक टन गेहूँ भंडारण के लिए सायलो बैग इस वर्ष प्रयोग के तौर पर उपयोग में लाए जाएंगे।

कई मायनों में लाभकारी सायलो बैग - सायलो बैग की अनेक विशेषताएं हैं। जैसे इसमें बिना बारदाना के गेहूँ स्टोर किया जा सकता है। सायलो बैग में एक बार गेहूँ रखने के बाद एक वर्ष से अधिक अवधि तक बिना खराब हुए सुरक्षित रह सकता है। इसके साथ ही चूहे आदि भी इसे क्षति नहीं पहुँचा सकते। सायलो बैग में गेहूँ रखने के लिए किसी स्थायी निर्माण की भी जरूरत नहीं होगी।

प्रदेश के तीन संरक्षित वन क्षेत्र को राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश के तीन संरक्षित वन क्षेत्र का राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि अधिकारी अनुशासन का पालन करें। वन अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो पर आम आदमी को बे-वजह परेशान नहीं किया जाये। श्री चौहान गत दिनों वन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में वन मंत्री श्री सरताज सिंह, राज्यमंत्री वन श्री जयसिंह मरावी, मुख्य सचिव श्री परशुराम भी उपस्थित थे।

श्री चौहान ने उत्कृष्ट वन प्रबंधन के लिये कान्हा, नवाचार के लिये पन्ना तथा ग्रामों के पुनर्वास की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं के लिये सतपुड़ा संरक्षित वन क्षेत्र का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होने पर वन विभाग को बधाई दी। बताया गया कि पन्ना वन क्षेत्र में एक नर तथा तीन मादा बाघ छोड़कर संख्या वृद्धि का किया गया नवाचार सफल रहा है। वर्तमान में इस वन क्षेत्र में शावकों को मिला कर बाघों की संख्या *17* हो गयी है। अभी हाल ही में बाघिन द्वारा छोड़े गये एक शावक को बचाने के लिये किये जा रहे प्रयासों की भी बैठक में जानकारी दी गयी। बैठक में बताया गया कि शिवपुर के जंगलों में साउथ अफ्रीका अथवा नामीबिया से *13* चीते लाने की योजना है। चीता प्रतिस्थापन की इस योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बीते वित्तीय वर्ष के अंत में *3* करोड़ *6* लाख रुपये स्वीकृत किये जाने से राशि का उपयोग नहीं हो सका। इस राशि को पुनर्जीवित करने के लिये केन्द्र को पत्र भेजा जा रहा है। श्री चौहान ने पर्यटन-स्थल पचमढ़ी में वन विभाग के प्रस्तावित विकास कार्यों में विलम्ब के लिये अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये। उन्होंने ककून उत्पादन के लिये वृक्षारोपण का निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाख, टसर सहित अन्य रोजगारमूलक कार्यों को प्राथमिकता दी जाये। आदिवासियों पर चल रहे छोटे-मोटे मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई की जाये। वन्य-प्राणियों को गोद लेने की योजना का विस्तार किया जाये। बैठक में प्रमुख सचिव वन श्री देवराज बिरदी और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश में मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन

राज्य शासन ने प्रदेश के मछुआरों की बेहतरी के लिये मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन किया है। बोर्ड के कामकाज के लिये सचिव, तकनीकी अधिकारी के साथ-साथ *23* पदों की मंजूरी भी दी गई है। मछुआ कल्याण बोर्ड की कार्य अवधि तीन वर्ष की नियत की गई है। बोर्ड का स्वतंत्र कार्यालय भोपाल में रहेगा। बोर्ड अपनी बैठक प्रदेश में किसी भी स्थान पर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं *5* अशासकीय सदस्य नामांकित होंगे जो मछुआ समुदाय से होंगे। बोर्ड में प्रमुख सचिव वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, मछली पालन विभाग सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। संचालक मत्स्योद्योग, बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। मछुआरों के समग्र योजना के लिए मछुआ कल्याण बोर्ड समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा। बोर्ड परंपरागत मछुआरों को मत्स्य-पालन में प्राथमिकता सुनिश्चित के लिए सुझाव देगा। बंद ऋतु में मछली मारने के प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। बोर्ड प्रदेश में सिंघाड़ा अनुसंधान, उत्पादन तथा विपणन के विकास, कमल गट्टा तथा उससे उत्पादित मखाना के बेहतर विपणन के लिए सुझाव देगा। बोर्ड प्रदेश की नदियों के किनारे रेत पर तरबूज-खरबूज उत्पादन में मछुआरों को प्राथमिकता देने की नीति, सुखान मछली के आखेट तथा विपणन की नीति पर सुझाव, अक्रियाशील मछुआरों की पहचान करने एवं इन्हें क्रियाशील करने, नौका एवं तैराकी में बच्चों को प्रशिक्षण, नौका घाटों पर नौका संचालन के साथ-साथ मछुआरों के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान के अलावा इनके समग्र विकास के संबंध में सुझाव देगा।

बरगी बाँध नहरों के लिए *166* करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों जबलपुर में बरगी बांध की नहरों का अवलोकन कर नहरों की मरम्मत और निर्माण तथा नहरों की साफ-सफाई और सुधार कार्यों के लिये 166 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों बरगी बाँध की नहरों का अवलोकन कर बायीं तट नहर के कमाण्ड एरिया में नहरों की मरम्मत और निर्माण तथा पाटन-शहपुरा क्षेत्र की नहरों की साफ-सफाई और सुधार कार्यों के लिए *166* करोड़ रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दौरान बरगी बाँध बायीं तट नहर की पाटन, शहपुरा और बेलखेड़ी शाखा नहर, मोहन तार का वितरण नहर तथा इनसे जुड़ी माइनर एवं सब माइनर नहरों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री ने नहरों के निरीक्षण के दौरान किसानों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बरगी बाँध की नहरों का बूँद-बूँद पानी खेतों तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पाटन-शहपुरा क्षेत्र की प्रत्येक नहर से आगामी रबी सीजन तक खेतों में पानी पहुँचाना हर हाल में सुनिश्चित किया जाये। श्री चौहान ने कहा कि यह कृषक हित का बड़ा मुद्दा है जिसमें किसी प्रकार का हीला-हवाला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहरों के सुधार और मरम्मत के लिए जितनी भी राशि की जरूरत होगी शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने पाटन-शहपुरा क्षेत्र की नहरों की सफाई और सुधार के कार्यों को तत्काल शुरू करने और वर्तमान कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, अगले रबी सीजन में बोनी करने इस विश्वास के साथ जायें कि उनके खेतों को इस बार नहरों से पानी जरूर मिलेगा। बरगी बाँध की नहरों की मैदानी स्थिति से रू-ब-रू होने के पहले श्री चौहान ने पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से बाँध की बायीं तट नहर की सिंचाई क्षमता, मरम्मत-सुधार और नहरों के निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने इसके लिए बरगी परियोजना के इंजीनियरों को समयबद्ध कार्यक्रम तय करने के निर्देश दिये।

कुँवर विजय शाह ने किया ग्राम सभा को संबोधित

आदिम-जाति कल्याण मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि आदिवासी वर्ग के बच्चों को आज की प्रतिस्पर्धा के अनुकूल बनाने के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिये जाने के लिये ठोस इंतजाम किये जायेंगे। उन्होंने झाबुआ के पेटलावद कन्या छात्रावास भवन के विस्तार के लिये एक करोड़ की राशि देने की घोषणा की। आदिम-जाति कल्याण मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि प्रदेश के समस्त आदिवासी विकासखण्ड में अंग्रेजी माध्यम की शालाएँ प्रारंभ की गई हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को राज्य सरकार ने सरकारी खर्च पर विदेश भेजने के भी इंतजाम किये हैं। आदिम-जाति कल्याण मंत्री ने ग्राम सारंगी में *20* सीटर बालक छात्रावास को *50* सीटर करने की भी घोषणा की। आदिम-जाति कल्याण मंत्री ने कहा कि झाबुआ जिले के जो बच्चे अपनी पढ़ाई गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में करेंगे, उन्हें विभाग द्वारा रुपये *3* हजार की अतिरिक्त राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि *5* साल से अधिक एक स्थान पर रहने वाले छात्रावास अधीक्षकों का स्थानांतरण किया जायेगा। कुँवर शाह ने पेटलावद जनपद पंचायत सभाकक्ष से जिले के सभी जनपद में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

स्वास्थ्य मंत्री ने किया नियोनेटल एम्बुलेंस का शुभारंभ

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि *108* एम्बुलेंस ने मध्यप्रदेश में जरूरतमंदों के सहारे के सही विकल्प के रूप में अपनी पहचान बनाई है। डॉ. मिश्रा भोपाल में गत दिनों जीवीके-ईएमआरआई द्वारा भोपाल में नियोनेटल एम्बुलेंस सुविधा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नियोनेटल एम्बुलेंस में नवजात शिशुओं और संक्रमण वाले रोगियों के लिये अतिरिक्त देखभाल की व्यवस्था की गई है।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की मंशा के अनुरूप हम प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ देना चाहते हैं। अभी प्रदेश के *10* जिलों में *108* एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। भविष्य में इनके द्वारा और अच्छी सेवाएँ उपलब्ध करवाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि *150* और वाहन *108* की सेवाओं को प्रदेश के शेष जिलों के लिये प्राप्त किये जाने की तैयारी है और शीघ्र ही ये वाहन प्राप्त हो जायेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज शुक्ला ने कहा कि जीवीके-ईएमआरआई द्वारा किये जा रहे जन-हितैषी कार्य में अपने सीमित संसाधनों से सहयोग करेंगे। इससे रोगियों को भविष्य में और अच्छी उपचार सुविधाएँ मिल सकें।

उल्लेखनीय है कि नियोनेटल एम्बुलेंस में नवजात शिशु केबिन विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे वह बैक्टीरिया मुक्त होगी। एम्बुलेंस में कोलेप्सिवल बेड, अटेंडेंट सीट, स्पेशल प्लॉस्टिक मेडिकल स्टोरेज केबिनेट और सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन सिस्टम है। एम्बुलेंस *108* में रोगी के लिये आवश्यक अन्य उपकरण एवं सुविधाएँ जैसे इन्क्यूबेटर यूनिट, पल्स ऑक्सीमीटर नियोनेटल प्रोब के साथ यूपीएस इन्क्यूवेटर को चलाने के लिये अलग से ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम, बेबी पुनर्जीवन किट 'अम्बू बैग केस', ओवर हेड सीलिंग रेडियंट वार्मर आदि पहले से ही उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम में हैदराबाद से आये जीवीके-ईएमआरआई के सीईओ सुबोध सत्यवादी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित *108* सेवा द्वारा *3* लाख *80* हजार इमरजेंसी केस अटेंड किये गये। ग्यारह राज्य एवं *2* केन्द्र शासित प्रदेशों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार से मिल रहे सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि शीघ्र ही प्रदेश के सभी जिलों में यह सुविधा सुलभ करवाई जायेगी। क्षेत्रीय कार्यपालिक अधिकारी श्री राजेश वाघमारे ने नई *108* एम्बुलेंस सुविधा के विषय में जानकारी दी। संचालन ईएमआरआई के समन्वयक श्री सुधाकर दुबे ने किया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य परिषद् का गठन

राज्य शासन ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम *2009* के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके विषय में सलाह देने के लिए राज्य परिषद् का गठन किया है। परिषद् के अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री हैं।

परिषद में शासकीय अधिकारियों के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता और पेंशनर संगठनों के दो प्रतिनिधि सदस्य नियुक्त किये गये हैं। सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं श्री सुधीर भाई गोयल, अर्पण कुटीर, सेवाधाम आश्रम, ग्राम अम्बोदिया, उज्जैन तथा श्री हीरालाल शर्मा, बड़वानी। पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों में श्री एस.के. सारस्वत, प्रांतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ, भोपाल और श्री के.के. भट्टा, ग्राम मेंडोरा, केरवा डेम शामिल हैं।

परिषद् के शासकीय सदस्यों में प्रमुख सचिव/सचिव सामाजिक न्याय, गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, जनसंपर्क, आयुक्त/संचालक पेंशन शामिल हैं। आयुक्त, सामाजिक न्याय परिषद् के सदस्य सचिव हैं।

अधोसंरचना विकास के लिए तीन हजार करोड़ की योजना

वाणिज्य, उद्योग तथा खाद्य प्र-संस्करण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए किसानों को सरकार मदद देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अधोसंरचनात्मक जरूरतों को पूरा करने *3* हजार करोड़ की योजना तैयार की है। मध्यप्रदेश में निवेश करने के इच्छुक हर निवेशक को सरकार हर जरूरी सुविधा मुहैया करायेगी। श्री विजयवर्गीय गत दिनों इन्दौर में दो दिवसीय एग्री बिजनेस समिट का शुभारंभ कर रहे थे। श्री विजयवर्गीय ने निवेशकों से कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के अच्छे अवसर हैं। मध्यप्रदेश तेजी से उभरता ग्रोथ सेंटर है। आने वाले पाँच साल में उद्योगों में करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति और रेडी-टू-ईट सामान खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने समिट में आये उद्यमियों एवं किसानों से इस क्षेत्र में निवेश का आग्रह किया। श्री विजयवर्गीय ने बताया कि अक्टूबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-*3*, इंदौर में होगी। इसके पहले नेशनल, इन्टरनेशनल रोड शोज के साथ प्रदेश के चुने हुए शहरों में इन्वेस्टर्स एवं बायर सेलर मीट की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्यानिकी को आगे बढ़ाने के लिये रकबा बढ़ाने तथा प्र-संस्करण की आठ नयी योजनाएँ लागू की गयी हैं। फसलों

के बेहतर रख-रखाव के लिये *101* पेक हाऊस, *13* कोल्ड स्टोरेज, *12* ग्रेडिंग और वेक्सिंग यूनिट, एक थोक बाजार, *115* ग्रामीण हाट बाजार तथा एक रायपनिंग चेम्बर की स्थापना की गयी है। सूक्ष्म सिंचाई बढ़ाने के लिये टाप-अप सब्सिडी *50* से बढ़ाकर *70-80* प्रतिशत की गयी है। उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने, क्लस्टर आधारित उद्यानिकी हब की स्थापना की गयी है। जल्दी खराब होने वाले उद्यानिकी उत्पादों की खरीदी-बिक्री से संबंधित कानून में बदलाव लाकर किसानों को फल-सब्जियों का वाजिब दाम दिलाने के लिये बेहतर बाजार उपलब्ध करवाया गया है।

वृद्धजन पंचायत में मुख्यमंत्री की पाँच घोषणाओं पर अमल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वृद्धजन पंचायत में की गई *15* घोषणाओं में से पाँच पर अमल पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने गत दिनों मंत्रालय में बैठक में विभिन्न घोषणाओं के अमल के लिए हुई कार्रवाईयों की विस्तार से समीक्षा की। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले करीब *2500* वरिष्ठ नागरिकों को भी अब वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार ग्रामीण अंचलों में रहने वाले अंत्योदय परिवार के तथा निराश्रित बुजुर्गों को जो साठ वर्ष से अधिक आयु के होंगे उन्हें साझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जायेगा। प्रत्येक ग्राम में तीन से पांच बुजुर्गों को ग्राम सभा द्वारा नामांकन किया जायेगा जो भोजन की गुणवत्ता तथा निगरानी में मदद करेंगे। बैठक में बताया गया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण अधिनियम *2007* और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण नियम *2009* के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में अनुभाग स्तर पर दो सौ से अधिक सुलहकर्ताओं को नियुक्त किया जा चुका है। अब तक ऐसे मामलों में *68* प्रकरण दर्ज हुए हैं। पवित्र नगरों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था के फैसले पर अमल करते हुए इस बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक और जरूरत के अनुसार एक से अधिक वृद्धाश्रम खोले जायेंगे। इस बारे में भी दिशा-निर्देश जारी हो चुके हैं। वृद्धाश्रम के कर्मचारियों को प्रचलित कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक का भुगतान करने संबंधी घोषणा पर अमल के लिए भी आदेश जारी किये जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि बड़े शहरों में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप तथा कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के जरिये वृद्धाश्रम स्थापित करने के लिए विभिन्न संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस उद्देश्य से हेल्प एज इंडिया और बीएचईएल से चर्चा प्रगति पर है। यह भी तय किया गया है कि निर्वाचन परिचय-पत्र अब वरिष्ठ नागरिक परिचय-पत्र के रूप में मान्य होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए प्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर एक अक्टूबर को सम्मान समारोह होगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। घरों में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए केयर गिवर्स को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्धारण कर प्रारंभ किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण पर नीति बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग का गठन करने बाबत प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है।

उत्कृष्ट कार्य के लिये अधिकारी-कर्मचारी हुये सम्मानित

विशिष्ट राज्य स्तरीय शासकीय आयोजनों में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले *68* अधिकारियों और कर्मचारियों को गत दिनों मंत्रालय सभा कक्ष में एक कार्यक्रम में प्रशंसा-पत्र दिए गए। सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री राकेश श्रीवास्तव और आयुक्त नर्मदापुरम संभाग श्री अरुण तिवारी एवं मध्यप्रदेश माध्यम के उपमहाप्रबंधक हेमंत वायंगणकर सहित अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र प्रदान किए।

राज्यमंत्री श्री के.एल. अग्रवाल ने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ निष्ठापूर्वक किए गए कार्य से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। श्री अग्रवाल ने शासन के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। समारोह को प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन श्री डी.के. सामंत राय ने भी संबोधित किया। राजधानी में *6* और *7* अगस्त *2011* को हुई कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कान्फ्रेंस और *17* नवंबर *2011* को रेल मंत्री की मुख्यमंत्री एवं सांसदों के साथ संयुक्त बैठक में सकारात्मक और निष्ठापूर्वक कार्य के लिए *68* अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रमुख सचिव श्रीमती विजया श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इन दोनों आयोजन में अपने दायित्वों का कुशलता से निर्वहन करने वाले सामान्य प्रशासन एवं अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशंसा-पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन उप सचिव, सामान्य प्रशासन श्री बी.आर. विश्वकर्मा ने किया।

शिक्षकों के *26* हजार से अधिक पद स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिनों सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शालाओं के लिये अध्यापक संवर्ग के अध्यापक के *26* हजार *26* स्वीकृत पद को संशोधित करते हुए *13* हजार *13* पद सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति के लिये तथा शेष *13* हजार *13* पद अध्यापक के संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-*2* की नियुक्ति से पूर्ति के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अनुकम्पा नियुक्ति - मंत्रिपरिषद् ने शासकीय सेवा में मृत व्यक्तियों के परिवारजन को दी जाने वाली संविदा नियुक्ति के संबंध में दो बच्चों तक के प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया। अब कितने भी बच्चे होने पर ऐसी नियुक्ति में बाधा नहीं आयेगी। बहरहाल, यह निर्णय आदेश जारी होने की तिथि से लागू होगा और पुराने प्रकरण इसमें शामिल नहीं होंगे।

फसल हानि राहत - मंत्रिपरिषद् ने वन्य-प्राणियों द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाए जाने की स्थिति में दी जाने वाली राहत की व्यवस्था में बदलाव के लिए आर.बी.सी.-*6-4* के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया। वर्तमान में वन्य-प्राणियों से फसल हानि के मामलों में प्रभावित किसान को वन-मण्डलाधिकारी द्वारा राशि स्वीकृत कर वितरित की जाती है।

इस व्यवस्था से प्रभावितों को घटना के बाद शीघ्र राहत नहीं मिल पाती। अब इस तरह के प्रकरणों में प्राकृतिक आपदाओं की तरह निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सहायता राशि राजस्व विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी। यह राशि वन विभाग के बजट से उपलब्ध करवाई जायेगी। वन विभाग द्वारा सहायता राशि स्वीकृत, आहरण और वितरण करने के लिये राजस्व अधिकारियों को प्राधिकृत भी किया जायेगा।

मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदेश में गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन को देखते हुए उसके भंडारण को सायलो बैग में करने का निर्णय लिया है। यह कार्य मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा पायलट आधार पर किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने लिया वर्षा पूर्व तैयारियों का जायजा

वर्षाऋतु में अचानक पानी बढ़ने से होने वाली सड़क तथा अन्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पूर्व चेतावनी जारी करे। निर्धारित स्थल और इसके दोनों तरफ के एक स्टॉप पहले से ही वाहनों और लोगों का आना-जाना सख्ती से रोका जाये। बड़े बाँधों और जलाशयों से पानी छोड़ने के पहले रेडियो-टीवी आदि जनसंचार साधनों से भरपूर प्रचार किया जाए। मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने ये निर्देश गत दिनों भोपाल में बाढ़ आदि नैसर्गिक विपत्तियों के संबंध में राज्य-स्तर पर गठित उच्च-स्तरीय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही वर्षा पूर्व तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिए। प्रमुख सचिव, राजस्व श्री बी.पी. सिंह ने बताया कि बाढ़ एवं अति-वृष्टि से बचाव के संबंध में सभी कलेक्टरों को चैक-लिस्ट जारी कर दी गयी है।

मुख्य सचिव ने जल-संसाधन विभाग से सभी बाँधों, तालाबों के तटबंध की मजबूती सुनिश्चित करने, बड़े बाँधों से एवं अंतर्राष्ट्रीय बाँधों से जल छोड़ने के समन्वय, मौसम विभाग से चेतावनी एवं पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए कन्ट्रोल-रूम की स्थापना के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बचाव के लिए तैनात किए जाने वाले होमगार्ड गोताखोरों को अधिक पानी में बचाव का प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। गृह विभाग द्वारा बताया गया किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए होमगार्ड के जवान, मोटर-बोट्स और बाढ़-बचाव सामग्रियों को तैयार किया जा रहा है।

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जल-भराव रोकने के लिए नाले-नालियों की सफाई की जा रही है। पहुँचविहीन क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पशु-चारा, दवाइयों का भण्डारण पेयजल शुद्धि के लिए आवश्यक केमिकल का भण्डारण किया जा रहा है। संचालक मौसम विभाग ने जानकारी दी कि प्रदेश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहने का अनुमान है। विभाग ने गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोज इंटरनेट के माध्यम से तुरंत और नियमित कन्ट्रोल-रूम और संबंधित विभागों को पहुँचाने की व्यवस्था की है।

रेडक्रास को वर्षा पूर्व ही कुछ केन्द्र निश्चित कर उनमें कंबल, कपड़े, दूध पाउडर, खाद्य सामग्री आदि का भण्डारण करने पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने बाढ़ोन्मुख जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

सातों सागर के विकास की योजना बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों उज्जैन में वर्षा के जल निकासी के लिए रूद्र सागर से हरसिद्धि की पाल से चक्रतीर्थ तक पाइप लाईन बिछाने का भूमि-पूजन किया। उन्होंने उज्जैन शहर के सातों सागर के विकास योजना बनाने के निर्देश दिये।

उल्लेखनीय है कि हरसिद्धि की पाल से चक्रतीर्थ से आगे दुर्गादास की छत्री के समीप *1180* मीटर की *16* एमएम व्यास की जीआरपी पाइप लाईन बिछाई जायेगी। पाइप लाईन रामघाट के किनारे चक्रतीर्थ से आगे बिछाई जायेगी। रामघाट पर पूर्व से बिछी हुई सीवर लाईनों को इसी पाइप लाईन में समायोजित किया जायेगा। रुद्र सागर का वर्षाजल प्राकृतिक बहाव के साथ निकाला जा सकेगा। पाइप लाईन के सुचारू संचालन के लिए *18* स्थानों पर जीआरपी मेनहोल का निर्माण किया जायेगा। इससे रुद्र सागर का वर्षाजल रामघाट पर पवित्र शिप्रा नदी में मिलने से रोकने और शिप्रा को रामघाट से लेकर चक्रतीर्थ तक प्रदूषणमुक्त रखने में मदद मिलेगी। रुद्र सागर से होकर बहने वाले नालों का पानी वर्षाजल से मिलकर रामघाट पर ओव्हरफ्लो होने से रोका जा सकेगा। वर्षाकाल में श्री महाकालेश्वर की सवारी के दौरान रामघाट पर स्वच्छता बनी रहेगी। महाकाल वन योजना एवं रुद्र सागर सौंदर्यीकरण के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए भी पाइप लाईन बिछाई जाना आवश्यक है।

आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रेन बैंक खुलेंगे

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ आवागमन, रोजगार एवं सिंचाई सुविधा का अभाव है, वहाँ पारिवारिक स्तर पर खाद्यान्न की निरंतर पूर्ति किये जाने के राजीव गाँधी खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में *4,240* ग्रेन बैंक संचालित किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष इन क्षेत्रों में *498* नये ग्रेन बैंक खोले जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में *40* परिवारों पर एक ग्रामीण ग्रेन बैंक खोले जाने का प्रावधान है। ग्रेन बैंक के संचालन के लिये प्रशिक्षण, भण्डारण एवं परिवहन के लिये प्रति ग्रेन बैंक *12* हजार *200* की राशि भी उपलब्ध करवाई गई है। इन ग्रेन बैंक के माध्यम से आदिवासी परिवारों को खाद्यान्न की सुरक्षा देकर उनकी जीविका चलाने में सहयोग दिया जा रहा है।

बन्द नल-जल योजनाएं शीघ्र चालू होंगी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं मण्डला जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को हर हाल में शीघ्र शुरू किया जाये। श्री बिसेन पिछले दिनों मण्डला में पेयजल कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधायक श्री नारायण सिंह पट्टा भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि जिले में *176* पेयजल योजनाएँ कार्य कर रही हैं। जिले की *20* बंद पड़ी पेयजल योजनाओं को विशेष अभियान चलाकर प्रारंभ किया जा रहा है। इस वर्ष जिले में *20* मुख्यमंत्री पेयजल योजनाएँ प्रारंभ करवाई जायेंगी। इसके अलावा जिले में पेयजल व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये *400* नलकूप खनन, *130* शालाओं में पेयजल व्यवस्था, *25* नल-जल योजना, *100* गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य, *600* हेण्ड-पम्पों में प्लेटफार्म का निर्माण एवं *45* आश्रम-छात्रावासों में पेयजल का इंतजाम किया जायेगा।

गाँव में पेयजल की जिम्मेदारी पंचायतों को

ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। पेयजल समस्या वाले गाँवों को चिन्हित कर सूची लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करायें, जिससे परिवहन कर पेयजल की व्यवस्था की जा सके। सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री कन्हैयालाल अग्रवाल ने यह निर्देश गत दिनों गुना में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवों की बैठक में दिए। राज्यमंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने सरपंचों को विकास के कार्य करने के पूरे अधिकार दिए हैं। सरपंच भाई मिल-जुलकर जनहित में विकास के कार्य करवाएँ। उन्होंने कहा कि पंच-परमेश्वर योजना की राशि बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसान अभी से खाद का भण्डारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतें कार्य पूरी गुणवत्ता से समय पर करवाएँ, जिससे उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके।

अत्यंत कम वजन के बच्चों को 'साँची दूध'

मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ ने सात जिलों में अत्यंत कम वजन के बच्चों को साँची दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। ग्वालियर, रीवा, कटनी, बुरहानपुर, मण्डला, दमोह और छिन्दवाड़ा जिला प्रशासन की सहमति के बाद वहाँ गुणवत्तायुक्त साँची दूध के पैकेट कम वजन के बच्चों को दिये जायेंगे। साँची दूध अत्यंत कम वजन के बच्चों के लिये पूरक पोषण आहार का बेहतर माध्यम साबित होगा। उल्लेखनीय है कि अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन में अत्यंत कम वजन के बच्चों को पोषण आहार तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तर पर समिति गठित की गई है।

आदिवासी कन्याओं के लिए साक्षरता प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में आदिवासी वर्ग की कन्याओं में साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष *2* लाख *79* हजार*433* कन्याओं को कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का लाभ दिलाया गया। योजना से आदिवासी बालिकाओं के ड्राप-आउट रेट पर भी नियंत्रण हुआ है। योजना में कक्षा *5* उत्तीर्ण कर *6* में प्रवेश लेने वाली बालिका को *500*, कक्षा *8* उत्तीर्ण कर कक्षा *9* में प्रवेश लेने वाली बालिका को *1000* एवं कक्षा *10* उत्तीर्ण कर कक्षा *11* में प्रवेश लेने वाली बालिका को प्रोत्साहन स्वरूप *3000* की राशि उपलब्ध करवाई गई। पिछले वर्ष कक्षा *6* में प्रवेश लेने वाली *1* लाख *77* हजार *997*, कक्षा *9* में प्रवेश लेने वाली *75* हजार *285* एवं कक्षा *11* में प्रवेश लेने वाली *26* हजार *151* बालिकाओं को इस योजना का फायदा दिलाया गया है। प्रदेश में चलाए गए बेटी बचाओ अभियान का प्रभाव इस योजना में देखने को मिला है। वर्ष *2010-11* में इस योजना में *2* लाख *39* हजार कन्याओं को इस योजना का लाभ दिलाया गया था, जो वर्ष *2011-12* के मुकाबले *40* हजार से ज्यादा है।

सेसईपुरा में खुलेगा सामुदायिक रेडियो केन्द्र

प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं जन-जागरूकता बढ़ाए जाने के उद्देश्य से वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्र प्रारंभ किये जा रहे हैं। श्योपुर जिले के सेसईपुरा में सामुदायिक रेडियो केन्द्र बन कर तैयार हो गया है। इस केन्द्र को शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। बैतूल जिले के चिचोली एवं धार के नालछा में सामुदायिक रेडियो केन्द्र एवं स्टूडियो का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा खण्डवा जिले के खालवा एवं अलीराजपुर जिले के भाबरा में स्थानीय आदिवासी बोली में रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रमों का निर्माण स्थानीय व्यक्तियों की मदद से किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य, शिक्षा पर केन्द्रित कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में अब समुचित स्थान होगा

आँगनवाड़ी केन्द्रों के भवन अब लगभग*170* वर्गफुट अधिक क्षेत्रफल में बनाये जा रहे हैं। राज्य शासन के नियमानुसार आँगनवाड़ी भवनों के लिए वर्ष *2009-10* तक *1936* वर्गफुट क्षेत्रफल के अंतर्गत *455.05* वर्गफुट में किया जाता था। वर्ष *2010-11* में पुनरीक्षण के बाद *2000* वर्गफुट क्षेत्रफल की सीमा में*625* वर्गफुट में आँगनवाड़ी भवन के निर्माण का प्रावधान किया गया है। आँगनवाड़ी भवन के चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल एवं परिसर में हेण्ड-पम्प खनन का निर्माण भी नवीन प्रावधान में शामिल है। आँगनवाड़ी भवन में नियमों के अनुसार एक हॉल, एक स्टोर, एक शौचालय, एक बरामदा एवं एक रसोई भी निर्मित करवाई जा रही है। बरामदा एवं हॉल का उपयोग हितग्राहियों के बैठने, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की गतिविधियाँ सम्पन्न करवाने, टीकाकरण, मंगल दिवस के आयोजन तथा आँगनवाड़ी केन्द्र की गतिविधियों के आयोजन में किया जा रहा है। रसोई का उपयोग पोषण-आहार रखने, स्टोर का उपयोग आँगनवाड़ी केन्द्र के रजिस्टर, शाला पूर्व शिक्षा की सामग्री, मेडिकल किट्स आदि रखने में हो रहा है।

कुपोषित बच्चों के इलाज की व्यवस्था

प्रदेश में गत तीन वर्षों में गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज पर *41* करोड़ *58* लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। वर्ष *2008-09* में *8* करोड़ *52* लाख रुपये, वर्ष *2009-10* में *13* करोड़ *96* लाख रुपये तथा वर्ष *2010-11* में *19* करोड़ *10* लाख रुपये की राशि व्यय हुई है। गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज पर यह राशि पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से खर्च की गई।

दस हजार गैस पीड़ित पायेंगे रोजगार

भोपाल गैस त्रासदी एवं पुन र्वास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने बतलाया है कि विभाग द्वारा गैस पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करने में मदद के लिए/स्वावलम्बन अभियान/के अन्तर्गत रोजगारमूलक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अभियान के जरिये *10* हजार गैस पीड़ित एवं उनके आश्रितों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी *4* हजार हितग्राहियों के चयन का कार्य प्रचलन में है। वर्तमान में *1,700* प्रशिक्षणरत हितग्राहियों में से *618* हितग्राही द्वारा स्वयं का रोजगार स्थापित कर लिया गया है।

❑ शुभम दुबे

ई-टेंडरिंग की न्यूनतम सीमा समाप्त

लोक निर्माण विभाग में सभी प्रकार के भुगतान ई-पेमेंट से हो रहे हैं। विभाग द्वारा सभी तरह के ठेकों के लिए ई-टेंडरिंग की व्यवस्था की गई है। ई-टेंडरिंग के लिए न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गयी है। विभाग द्वारा न्यूनतम से लेकर अधिकतम सीमा तक के सभी कार्यों के लिये ई-टेंडरिंग की जा रही है। यह जानकारी गत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गयी लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की सड़कें हमारी प्राथमिकता हैं। सभी सड़कें गुणवत्ता के साथ सुधरी रहें। इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाये। निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग हो। अधिकारी सघन निरीक्षण करें। उन्होंने निर्माण कार्यों की संधारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि संधारण कार्यों में भी गारंटी का प्रावधान किया जाना चाहिए। बैठक में बताया गया कि विभाग के कार्यकलापों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्क मैनेजमेंट एवं मॉनीटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। इसी तरह भवन, सड़क तथा पुल के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स एवं एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। बताया गया कि निविदा नियमों में भी संशोधन किया गया है। जिन ठेकेदारों की निविदायें अस्वीकृत की जाती हैं उन्हें अस्वीकृति के कारणों से अवगत कराया जाता है। इसी प्रकार प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा को नहीं खोलने का प्रावधान किया गया है।

❑ राजेश पाण्डेय

किशोरावस्था एवं स्वास्थ्य पर उपयोगी दो पुस्तकें

चित्रकथा विधा में प्रचार साहित्य का प्रकाशन इन दिनों बेहद लोकप्रिय है और विधा के इसी सामर्थ्य का उपयोग इन दिनों सरकारी योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार में जमकर हो रहा है। इस विधा की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसमें गंभीर और संवेदनशील विषयों को भी सरल संवादों और नयनाभिराम चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। इसी विधा में इन दिनों स्वयंसेवी संस्था सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट-समर्थन ने किशोरावस्था की समस्या पर दो उपयोगी चित्रकथाएं प्रकाशित की हैं। पहली चित्रकथा - "किशोरावस्था और जीवन कौशल' के शीर्षक से प्रकाशित की गई है तो दूसरी चित्रकथा - "किशोरावस्था एवं प्रजनन स्वास्थ्य" शीर्षक से प्रकाशित की गई है।

इन चित्रकथाओं की मुख्य पात्र भी एक किशोरवय लड़की छुटकी है और इन चित्रकथाओं की परिकल्पना छुटकी के कथोपकथन के माध्यम से की गई है। इन चित्रकथाओं में वर्णित चित्र कहानियाँ सीहोर जिले के कुछ मित्रों और कार्यकर्ताओं के अनुभव से निकलकर बनी हैं इस कारण ये चित्रकथाएँ ज्यादा प्रामाणिक और 'कनविन्सिंग' लगती हैं। 'किशोरावस्था और जीवन कौशल' पुस्तिका में जहाँ किशोर-किशोरियों के माध्यम से इस आयु में जरूरी जीवन कौशल की चर्चा की गई है वहीं दूसरी पुस्तिका - 'किशोरावस्था एवं प्रजनन स्वास्थ्य' में स्वास्थ्य जैसी गंभीर समस्या पर प्रामाणिक बात कही गई है।

किशोरावस्था और जीवन कौशल पुस्तिका में दस अध्यायों में जीवन कौशल को समझाने की कोशिश की गई है। पहला अध्याय 'परानुभूति' शीर्षक से प्रस्तुत है जिसमें किशोरियों में महावारी और परिवार के व्यवहार को समझने-समझाने की कोशिश की गई है। महावारी के दौरान किशोरियों से छुआछूत के व्यवहार को भी इस अध्याय में नकारा गया है। दूसरे अध्याय में किशोरियों को भावना से जूझने की शक्ति की चर्चा की गई है। तीसरे अध्याय में किशोरियों में रक्त अल्पता और उसे दूर करने के तरीकों पर सृजनात्मक चिंतन किया गया है। इस एक अध्याय की विशेषता यह है कि किशोरियों में रक्त अल्पता को दूर करने के घरेलू तरीकों की ही चर्चा की गई है।

पुस्तिका के चौथे अध्याय में विवाह की उम्र की बात कही गई है और किशोरियों को अट्ठारह वर्ष से पहले शादी के प्रस्ताव पर निर्णायक रूप से - 'शादी अभी नहीं' कहने की क्षमता विकसित करने की बात कही गई है। पाँचवें अध्याय में अन्तरव्यक्ति सम्बन्धों की चर्चा की गई है और यह तथ्य प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि बातचीत से ही बात बनती है। यह अध्याय 'पल्स पोलियो ड्राप' पिलाये जाने से संबंधित है। छठवें अध्याय में समस्या निवारण के लिये प्रभावी संवाद का महत्व एक उदाहरण सहित बताया गया है जिसमें एक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि एक सरकारी योजना का पैसा सत्कार पर खर्च करना चाहती है। सातवें अध्याय में स्वयं की पहचान शीर्षक से शिक्षा व व्यवसाय चयन में स्वयं की रुचि और स्वयं के भविष्य निर्माण की बात कही गई है।

आठवें अध्याय में तनाव से जूझने की कुशलता सिखाये जाने की बात कही गई है। इस अध्याय में असफलता से निराश और इस कारण अवसाद में पड़े किशोरों से 'नई शुरूआत' का आग्रह भी किया है। पुस्तिका के नौवें अध्याय में समस्या के समाधान की बात कही गई है। समस्या गाँव की उस दुकान से कंडोम बेचे जाने की थी जो काकी की है। काकी से कंडोम माँगने में गाँव के युवक हिचहिचाकते हैं अंततः छुटकी सकारात्मक नजरिये से युवकों को आश्वासन देती है कि करने से सबकुछ सम्भव है। गाँव की आशा छुटकी कपिल की दुकान पर कंडोम रखवा देती है। पुस्तिका का दसवाँ और अंतिम अध्याय समालोचनात्मक चिंतन की बात करता है और पहले सोचो फिर निर्णय लेने की सलाह भी देता है।

किशोरावस्था एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर दूसरी पुस्तिका अध्यायों में नहीं बंटी है मगर यहाँ भी 'मिरेकल गर्ल' - छुटकी आशा कार्यकर्ता के रूप में किशोरियों एवं उनके प्रजनन के दौर में उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को सुलझाती है। किशोरियों में आमतौर पर होने वाली बीमारियों के क्रम में पीलिया, माहवारी की समस्या, कुपोषण की समस्या, शरीर में वय के साथ आये परिवर्तन की व्यापक चर्चा की गई है। इसी पुस्तिका में एड्स से आम जनता को अवगत करवाने और किशोरियों को भी उससे सचेत किया गया है। कुल मिलाकर राज्य में किशोरियों के स्वास्थ्य की चिंता को प्रस्तुत करने और उनके समाधान को प्रस्तुत करने वाली ये उपयोगी पुस्तिकाएँ हैं।

* किशोरावस्था और जीवन कौशल तथा किशोरावस्था एवं प्रजनन स्वास्थ्य * प्रकाशक - 'समर्थन', सेन्टर फॉर डेवलेपमेंट सपोर्ट * मुद्रक- एम.एस.पी. ऑफसेट * यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से प्रकाशित।

❑ राजा दुबे

समीक्षा से विकास की निरन्तरता पर निगरानी संभव

विभागीय समीक्षा से विकास कार्यों की निरन्तरता पर निगरानी संभव होती है और यदि ऐसी समीक्षा में लक्ष्यों और मानव मात्र के कल्याण को केन्द्र में रखा जाये तो सरकारी योजनाओं विशेष रूप से हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ सामान्यजन तक पहुँचे यह भी सुनिश्चित हो पाता है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में सभी विभागों की त्रैमासिक समीक्षा की गई।

मध्यप्रदेश संभवतः देश के उन गिने-चुने राज्यों में से एक है जहाँ मुख्यमंत्री, विभिन्न विकास विभाग के मंत्रियों और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा करते हैं।

मई *2012* में सम्पन्न त्रैमासिक समीक्षा के क्रम में वित्त विभाग की ई-पेमेन्ट व्यवस्था तथा अट्ठारह साल में पहली बार अंतिम त्रैमास में आयोजना मद में सरकारी खरीदी पर रोक न लगने की उपलब्धि भी हासिल हुई है। इस उपलब्धि तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के संकल्प और सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आठ लाख निःशक्तजन का डाटाबेस बनाने की चर्चा हमने पिछले अंक में की थी। इस बार आईये और सत्रह विभागों की समीक्षा पर विचार करें -

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की समग्र योजना बने - स्कूल शिक्षा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में पिछले दिनों यह निर्णय लिया गया कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की समग्र योजना बनाई जाये। शिक्षकों का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और हर पाँच किलोमीटर पर एक हाईस्कूल की उपलब्धता इस योजना के प्रमुख घटक होंगे। समीक्षा में एक बार फिर प्रदेश में शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलवाने का संकल्प भी दोहराया। समीक्षा में इस बात को भी दोहराया गया कि प्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में सफल रहें इसलिए उन्हें अंग्रेजी भी जरूर पढ़ाई जाये।

उन्नीस मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ चिन्हांकित - प्रदेश में इस समय बाईस नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर काम चल रहा है और उन्नीस और नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को भी चिन्हांकित किया गया है। प्रदेश में गेहूँ की विपुल पैदावार रबी मौसम में साढ़े सात लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र बढ़ने से ही संभव हो सकी है। यह बात जल संसाधन विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में बताई गई। बैठक में यह भी कहा गया कि प्रदेश में अधिक से अधिक लघु सिंचाई योजनाएं ही बनाई जायें। बैठक में इस बात पर भी सन्तोष व्यक्त किया कि चम्बल, तवा और राजघाट परियोजनाओं से सर्वाधिक सिंचाई हुई है।

प्रदेश के बाहर के गेहूँ को आने से रोका जाये - बोनस देकर समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने की सुविधा मध्यप्रदेश के किसानों को दी गई अतः प्रदेश की अन्तर्प्रान्तीय सीमाओं पर पैनी निगरानी की जाये और प्रदेश के बाहर से गेहूँ को प्रदेश में आने से रोका जाये। यह हिदायत सहकारिता विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। इस समीक्षा बैठक में समर्थन मूल्य पर गेहूँ के उपार्जन के अभियान की समीक्षा भी की गई। विभाग की अनुपयोगी अथवा अव्यवहारिक योजनाओं को समाप्त करने, किसानों द्वारा उर्वरक के अग्रिम उठाव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को निशुल्क भूमि देने और सभी बैंकों सहकारी बैंकों से भी कोर बैंकिंग प्रणाली लागू करने की बात कही।

सतही जल प्रबंधन के लिये बना जल विकास निगम - प्रदेश में नदी, नालों, तालाबों और बांध जैसे सतही जलस्त्रोतों पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जल विकास निगम करेगा। यह निर्णय जल संसाधन विभाग की त्रैमासिक समीक्षा

जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन

प्रदेश में नदी, बांध आदि सतही जल स्रोतों पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जल विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा। कम से कम पचास प्रतिशत नलकूप का खनन विभागीय मशीनों से होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में दी। बैठक में डार्क एरिया जहां पानी की समस्या है, में पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। पेयजल योजनाएँ आगामी पच्चीस वर्ष की जनसंख्या तथा विकास को ध्यान में रखकर बनाने का निर्देश दिया गया। नलकूप खनन के लिये क्षेत्र में भेजी जाने वाली विभागीय मशीनों की निगरानी जी.पी.एफ. सिस्टम से की जाये।

बैठक में लिया गया। इसी बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि कम से कम पचास प्रतिशत नलकूपों का खनन विभागीय मशीनों से करवाया जाएगा। प्रदेश में पेयजल प्रदाय की योजनाएं आगामी पच्चीस वर्षों को आधार मानकर बनाये जाने और पेयजल उपलब्धता की दुर्लभता वाले 'डार्क एरिया' में प्राथमिकता के साथ पेयजल पहुँचाने का निर्णय भी लिया गया।

निर्माण कार्यों की मूल्यांकन व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी - विकास तथा निर्माण कार्यों की मूल्यांकन व्यवस्था भी अब ऑनलाइन होगी जिससे 'ई पेमेन्ट' व्यवस्था का भी सुदृढ़ीकरण होगा। यह जानकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में दी गई। बैठक में यह बताया गया कि जिलों की विकास योजनाओं, नई रणनीतियों और विकास नियोजन में मदद के लिये सभी जिलों के संसाधन एटलस तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में बताया गया कि उज्जैन में तारामण्डल और वेधशाला ऑडिटोरियम का निर्माण भी किया जा रहा है। विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति *2012* की तैयारी भी अंतिम दौर में है।

प्रदेश में स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा - स्प्रिंकलर से सिंचाई इन दिनों बेहद लोकप्रिय विद्या है। इस सिंचाई व्यवस्था से प्रभावित मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने उद्यानिकी विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में कहा कि स्प्रिंकलर के उपयोग से जहाँ एक ओर बिजली की खपत में कमी आती है वहीं सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा भी नियंत्रित होती है। बैठक में स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिये एक कार्ययोजना बनाये जाने का निर्णय भी लिया गया। इन्दौर में उत्कृष्ट उद्यानिकी संस्थान की स्थापना तथा उद्यानिकी फसलों की किसानों को जानकारी देने के लिये 'पोर्टल' बनाने की बात भी बैठक में कही गई।

उर्वरक के अग्रिम उठाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें - राज्य में आगामी खरीफ फसल के लिये उर्वरक के अग्रिम उठाव के काम को एक अभियान के रूप में चलाया जाये। यह निर्देश गत दिनों कृषि विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिये गये। बैठक में कोदो-कुटकी फसलों के अनुसंधान, कृषि विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं की रेण्डम जाँच करवाये जाने, जलवायु-किसान की जरूरतों और उपलब्ध मिट्टी के आधार पर कार्य योजनाएं बनाने और विभाग की अनुपयोगी योजनाओं को तत्काल बन्द किये जाने का निर्णय भी लिया।

नर्मदा को प्रदूषणमुक्त करने के लिये जन आन्दोलन - नर्मदा को प्रदूषणमुक्त करने के लिये शासन स्तर पर व्यापक कदम उठाने के साथ इस कार्य को जन आन्दोलन बनाया जाएगा। यह निर्णय पर्यावरण विभाग की त्रैमासिक बैठक में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि अमरकंटक, ओरछा तथा चित्रकूट के प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए इन नगरों के सौंदर्यीकरण की योजना भी बनाई जायेगी। भोपाल में पुरानी विधानसभा (मिण्टो हॉल) के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपे जाने तथा राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के विस्तार के लिये आर्किटेक की नियुक्ति का निर्णय भी लिया गया। बैठक में सिंहस्थ की तैयारी पर और क्षिप्रा के उन्नयन पर भी विचार हुआ।

निर्माण श्रमिक के बच्चों की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो- निर्माण श्रमिक के बच्चों के लिये शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं और उन सभी बच्चों को छात्रवृत्तियाँ दिया जाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है, यह बात श्रम विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कही गई। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश के सभी निर्माण मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए। निर्माण श्रमिकों, भवन निर्माण कम्पनियों से जो उपकर लिए जाने का प्रावधान है उस प्रावधान पर कड़ाई से पालन कर उप कर

नहरों के निर्माण को गति दें

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण परियोजनाओं में बांधों के निर्माण पूरे करने के साथ ही नहरों के निर्माण का कार्य भी समानांतर गति से जारी रखने के निर्देश नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की त्रैमासिक बैठक में दिये गये। बैठक में नर्मदा में सबसे पहले बनने वाले बरगी बांध की नहरों के कार्य को और अधिक गति प्रदान करने के निर्णय भी लिए गए। इन सभी योजनाओं के लिए ई-टेंडरिंग के बाद ई-पेमेन्ट भी आरम्भ करने और निर्माण कार्यों की मेजरमेन्ट बुक को भी ऑनलाइन किये जाने की बात कही गई। बैठक में यह हिदायत भी दी गई कि विभाग में प्रशिक्षक की व्यावहारिक उपयोगिता हो यह महज कर्मकाण्ड न बने।

राशि की सम्पूर्ण और समय पर वसूली की जाये।

चिकित्सा महाविद्यालयों में अब नए पाठ्यक्रम - जबलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में एम.डी. रेडियोथेरेपी का, ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय में एम.सी.एच. न्यूरोसर्जरी और रीवा चिकित्सा महाविद्यालय को एम.एस. आर्थोपीडिक्स पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई है। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। समीक्षा बैठक में आयुष, आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने और सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा घटकों में अनुसंधान के काम को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। इसी प्रकार प्रदेश के एलोपैथिक अस्पतालों में पृथक आयुष विंग स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया।

शासकीय अस्पतालों का प्रबंधन मजबूत बनेगा - शासकीय अस्पताल के प्रबंधन को और भी मजबूत बनाने और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की सम्भावना तलाशने के निर्देश पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिया गया है। बैठक में 'सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा सबके लिए' परियोजना के बारे में बताया गया। गाँव में उपलब्ध स्वास्थ्य संस्थाओं को 'ग्राम आरोग्य केन्द्र' के रूप में विकसित कर उसमें आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने और प्रदेश में एक हजार एक सौ बीस ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है जो चौबीस घण्टे खुले रहेंगे।

शासकीय अभिभाषकों का राज्यस्तरीय सम्मेलन होगा - प्रदेश के न्यायालयों में सरकारी पक्ष का प्रतिपादन करने वाले शासकीय अभिभाषकों और सहायक शासकीय अभिभाषकों के उन्मुखीकरण तथा शासकीय पक्ष के प्रभावी प्रस्तुतीकरण के बारे में विचार के लिये शीघ्र ही एक राज्यस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी विधि विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। गरीबों को कानूनी सहायता की अधिकतम सीमा को बढ़ाये जाने, विधि विभाग द्वारा मान्य सरकारी स्कूलों, निजी स्कूलों में कानून के पालन की प्रारंभिक शिक्षा के लिये प्रबोधन पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी विचार हुआ। जिला स्तर पर कार्यरत विधि सहायता अधिकारी के पद को भी और अधिकार सम्पन्न बनाने की बात कही।

बदलती जरूरतों के अनुसार बनेगी आवास नीति - समाज के सभी वर्गों को उनकी क्रय क्षमता एवं आवश्यकता के अनुरूप आवास मिले इस परिप्रेक्ष्य में शीघ्र ही प्रदेश की नई आवास नीति बनाई जाएगी। यह निर्णय आवास विभाग की त्रैमासिक समीक्षा के दौरान लिया गया। आवास नीति में आवास निर्माण से संबंधित सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं के समन्वयन की बात भी कही गई। बैठक में गृह निर्माण को मंझोले शहरों में विकसित भूखण्ड उपलब्ध करवाने तथा निर्धन व्यक्तियों को कम कीमत पर 'एफोर्डेबल' पूर्ण विकसित भूखण्ड उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई।

सभी हाथ ठेला और साइकिल रिक्शा चालक मालिक बनेंगे - प्रदेश के सभी हाथ ठेला चालक और साइकिल रिक्शा चालक आगामी एक साल में अपने हाथ ठेले अथवा साइकिल रिक्शा के मालिक बन जायेंगे। यह घोषणा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में की गई। बैठक में बताया गया कि अभी तक ऐसे चालीस हजार हाथ ठेला व साइकिल रिक्शा चालक मालिक बन गए हैं और शेष पचास हजार भी आगामी एक साल में मालिक बन जायेंगे। नगरीय निकायों में शहर यांत्रिकी सेवा के गठन और गैस पीड़ितों के लिये हरसंभव सहायता का निर्णय भी लिया गया।

मुख्यमंत्री स्वयं हितग्राहियों से मिलेंगे

जनकल्याणकारी योजनाओं के परिणामों से परिचित होने के लिये मुख्यमंत्री स्वयं योजना के हितग्राहियों से मिलेंगे। यह बात मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिलों के निरीक्षण कार्यक्रमों में स्व-रोजगार के हितग्राहियों से भेंट कर कार्यक्रम भी निर्धारित किया जाये। मुख्यमंत्री इस प्रकार जब हितग्राहियों से मिलेंगे तो उससे उन्हें वस्तुस्थिति का पता चल जायेगा।

हर पंचायत में पशुपालक संघ बनाये जायेंगे - प्रदेश में हर पंचायत में पशुपालक संघ बनाये जायेंगे और पशुओं की देशी नस्ल को प्रोत्साहन देने के लिये वत्स पालन प्रोत्साहन योजना लागू की जायेगी। यह निर्णय पशुपालन और मछलीपालन विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कही गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि

गोपाल पुरस्कार योजना का विस्तार ग्राम स्तर तक किया जाएगा। मछलीपालन विभाग की समीक्षा के दौरान मछुआ पंचायत की घोषणाओं पर प्राथमिकता के साथ अमल हो और प्रदेश में एक मछुआ महाविद्यालय (फिशरमैन कॉलेज) की स्थापना भी की जाये।

खनिज उत्खनन के संबंध में बनेगी नई नीति - प्रदेश में खनिज उत्खनन के संबंध में समग्रता से विचार किया जाएगा और एक वैज्ञानिक खनन नीति बनाई जायेगी। यह निर्णय खनिज विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया। इस प्रकार वैज्ञानिक खनन नीति में नदियों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार, अवैध उत्खनन एवं विकास संबंधी सभी पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी विचार हुआ कि प्रदेश में छब्बीस हजार करोड़ रुपयों की सड़कें बन रही हैं और अधोसंरचना विकास के अन्य कार्य प्रगति पर हैं इन कार्यों के लिये समय पर रेत, मुरम, गिट्टी आदि आवश्यक सामग्री मिल जाये, इस पर भी विचार जरूरी है। वैज्ञानिक खनन नीति बनाते समय इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाये कि विकास कार्यों के लिए माइनिंग की आवश्यक लीज में विलम्ब न हो।

अल्पसंख्यक आबादी-बहुल गाँवों में कब्रिस्तान की भूमि वर्गीकृत हो - अल्पसंख्यक आबादी बहुल गाँवों में कब्रिस्तान की जमीन की दिक्कत न हो इसके लिये कब्रिस्तान की भूमि वर्गीकृत हो। यह निर्देश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि विभागीय गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये जिला स्तर पर कार्यालय गठन की कार्रवाई को तेजी से पूरा किया जाये। बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई कि अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जो छः घोषणाएं की गई थीं उनमें से पाँच घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं।

सामुदायिक वनाधिकार पट्टों के लिये अभियान चलेगा - प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक दावों के पंजीकरण के लिये पुनः अभियान चलाया जाएगा। यह घोषणा आदिम जाति, अनुसूचित जाति, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में यह भी बताया गया कि इन सभी जातियों के कल्याण के लिये शीघ्र ही 'पंचायत' का भी आयोजन होगा। अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग मिले इन प्रयासों को भी मजबूती प्रदान की जायेगी। जनजातीय बोलियों के शब्दकोष और व्याकरण बनाये जाने की प्रक्रिया को भी तेजी दी जायेगी, यह भी बैठक में बताया गया।

राज्य के विकास का दस वर्षीय विजन बनेगा - प्रदेश के विकास के लिये दस वर्षीय विजन बनाया जायेगा जिसमें योजनाओं और कार्यक्रमों के यथार्थपरक लक्ष्य तय किये जायेंगे। यह निर्णय योजना एवं सांख्यिकी विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि केन्द्रीय योजना आयोग ने भी प्रदेश की विकेन्द्रीकृत कार्ययोजना की सराहना की है। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास की विकास वृद्धि दर दस प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है बैठक में विभागीय अधिकारियों को यह हिदायत भी दी

गई कि विकास से संबंधित आँकड़ों का संकलन समय पर और सही हो।

मजरे टोलों को गाँव बनाने के मापदण्ड बनेंगे - प्रदेश में मजरे-टोलों से बने गाँव दो-दो किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक दूरी पर बसे होते हैं, ऐसे गाँवों में विकास के कार्य मूल गाँव तक ही सीमित रह जाते हैं अतः ऐसे मजरे-टोलों को गाँव में बदलने के लिये शीघ्र ही मानदण्ड बनेंगे - यह निर्णय गत दिनों राजस्व विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में वासस्थान और आवासीय प्रयोजन के लिये भूमिहीन लोगों द्वारा किये गये कब्जे पर भूस्वामी अधिकार दिये जाने का निर्णय भी लिया गया। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के काम को भी मिसनरी भाव से पूरा किये जाने की बात कही गई।

विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की कार्ययोजना बनाएं - प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की एक व्यापक कार्ययोजना आगामी पन्द्रह दिन में बनाई जाये यह निर्देश मुख्यमंत्री जी ने संस्कृति विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिया। स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाहियों की जन्म स्थली और समाधि स्थलों का तेजी से निर्माण, वाराणसी के तर्ज पर महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर का विकास, नर्मदा तट पर होने वाली महा आरती को सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ने और बरगी बांध एवं इन्दिरा सागर में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी कही गई। पर्यटन स्थल पर साफ-सफाई और अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गए।

भोपाल में शिल्पियों की पंचायत भी आयोजित होगी - परम्परागत व्यवसायों में विकास की अपार सम्भावनाओं की पड़ताल के लिये भोपाल में 'शिल्पियों की पंचायत' का आयोजन होगा, यह निर्णय कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि मिट्टी के बर्तन, खिलौने और मूर्तियां इत्यादि बनाकर जीविका उपार्जन करने वाले शिल्पियों के लिये प्रत्येक गाँव में मिट्टी की उपलब्धता के लिये स्थान चिन्हित करने के निर्देश भी दिये जायें। शिल्पियों के तकनीक उन्नयन के सहयोग का कार्यक्रम भी शुरू करने की बात कही गई।

प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को बेहतर सुविधाएं मिलें - प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता को बेहतर सुविधाएं तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हो यह अपेक्षा मुख्यमंत्री जी ने ऊर्जा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में कही। बैठक में विद्युत आपूर्ति में बढ़ोत्तरी, हानियों में कमी और ऊर्जा संरक्षित करने के हरसम्भव प्रयास किये जाने की बात भी कही। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि किसानों से उनकी माँग के लोड का आकलन कर विद्युत आपूर्ति की जाये और किसानों को स्थाई विद्युत कनेक्शन लेने को प्रोत्साहित किया जाये। समय पर ट्रांसफॉर्मर बदलने का भी बन्दोबस्त हो।

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण पर ध्यान दें - तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण की विशेष कार्ययोजना बनाने, बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा दिये जाने को प्रोत्साहित करने, दक्षता बढ़ाये जाने पर अधिक जोर देने और घरेलू कामकाजी महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने का निर्णय तकनीकी शिक्षा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया।

अधोसंरचना विकास पर जोर - प्रदेश में औद्योगिक निवेश की गति तेज करने के लिये जो दो साल की कार्ययोजना बनी है उसमें औद्योगिक क्षेत्रों की अधोसंरचना विकास पर चार सौ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह जानकारी वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय रोड शो आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर जल्दी ही रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाएगा। बैठक में क्रिस्टल आई.टी. पार्क को एक औद्योगिक क्षेत्र बनाने की बात भी कही। बैठक में एकल खिड़की व्यवस्था की मजबूती की भी बात हुई।

❑ राजेश शर्मा

ग्राम पंचायत क्षेत्र में भवनों के निर्माण की अनुमति

❑ जी.पी. अग्रवाल

शहरी क्षेत्र की भांति ग्रामीण क्षेत्र में भी व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ग्राम का विकास हो इसका पूरा-पूरा इन्तजाम किया गया है इसके तहत ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण के लिए अधिकार दिए गए हैं। म.प्र. पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम की धारा *55* में भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भवन का निर्माण परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण करना चाहे तो वह ऐसे निर्माण से पहले ऐसी अनुमति के लिए ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन इस हेतु नियत फीस के साथ करेगा जिसके साथ प्लान, साइट प्लान, भवन प्लान, सर्विस प्लान, विनिर्दिष्ट पर्यवेक्षण का प्रमाण पत्र तथा स्वामित्व या स्थल पर किसी वैधानिक अधिकार के संबंध में प्रमाण-पत्र, चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। ग्राम पंचायत की अनुज्ञा के बिना और अधिनियम के अधीन इस संबंध में बनाई गई उपविधियों के अनुसार किसी भवन का परिनिर्माण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। किसी विद्यमान भवन में कोई परिवर्तन भी भवन स्वामी नहीं कर सकता है एवं किसी भवन का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। भवन निर्माण करने का इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा उसके आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर यदि ग्राम पंचायत भवन निर्माण की अनुज्ञा देने से इंकार करने की सूचना नहीं दी जाती है तो यह मानकर कि ग्राम पंचायत को उक्त भवन निर्माण करने में कोई आपत्ति नहीं है और आवेदनकर्ता द्वारा यह मान लिया जाएगा कि उसे भवन निर्माण की अनुज्ञा ग्राम पंचायत द्वारा दे दी गई है।

ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण की दी गई अनुज्ञा से हटकर यदि कोई व्यक्ति, किन्हीं ऐसी शर्तों के, जिनके अधीन अनुज्ञा नहीं दी गई है, किसी भवन का परिनिर्माण करता है, उसमें परिवर्तन अथवा परिवर्धन करता है, या उसका पुनर्निर्माण करता है, तो ग्राम पंचायत ऐसे व्यक्ति को लिखित सूचना द्वारा ऐसा निर्देश देगी कि वह ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को रोक दे और सूचना में दर्शाई गई अवधि के भीतर ऐसे परिनिर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या पुनर्निर्माण को जैसी कि ग्राम पंचायत द्वारा लोक हित में अनुमति दी गई है परिवर्तित कर दे, किन्तु कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत द्वारा तामील की गई सूचना के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन सूचना में दर्शायी गई समयसीमा के भीतर नहीं करता है तो ग्राम पंचायत स्वयं ऐसी कार्यवाही जो ग्राम पंचायत द्वारा अपनी सूचना में अपेक्षित की गई है, अनुसार भवन में सुधार हेतु कार्यवाही कर सकती है और उस पर आया व्यय उस व्यक्ति से वसूल कर सकेगी और ऐसे व्यय का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा उस तारीख से, जिसको ग्राम पंचायत द्वारा मांग की सूचना तामील की गई है, तीस दिन के भीतर करेगा यदि उक्त व्यक्ति द्वारा समय सीमा के भीतर भवन के सुधार में आये व्ययों का भुगतान ग्राम पंचायत को नहीं किया तो उसकी वसूली उस व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया के तौर पर की जावेगी।

ग्राम पंचायत क्षेत्र का कोई व्यक्ति यदि ग्राम पंचायत द्वारा भवन अनुज्ञा के दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है या ग्राम पंचायत द्वारा दी गई अनुज्ञा शर्तों का उल्लंघन करता है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रकरण बनाकर सौंपेगी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रकरण अपने न्यायालय में चलाया जावेगा तथा प्रकरण में व्यक्ति को दोषी पाये जाने पर दण्डित भी कर सकेंगे जो छह माह के साधारण कारावास या दो हजार रुपये तक का जुर्माना होगा। इसके पश्चात भी यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा अपना निर्माण कार्य फिर भी चालू रखा जाता है तो ऐसी दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्ध की तारीख के पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित कर सकेंगे। ग्राम पंचायत के किसी निर्देश या सूचना के विरुद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को की जा सकेगी और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) का ऐसी अपील पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आमंत्रित किया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गत दिनों मुम्बई में उद्योगपतियों एवं विभिन्न कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भेंटकर अक्टूबर 2012 में इन्दौर में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में चर्चा की। विगत दिनों प्रदेश के नए मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने राजभवन में राज्यपाल श्री रामनरेश यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा स्थित लक्ष्मण बाग संस्थान गौशाला का भ्रमण कर कहा कि नगरवासियों और समाजसेवियों द्वारा गौशाला स्थापित कर की जा रही गौ-सेवा का कार्य सराहनीय है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ गौ-पूजन किया। मुख्यमंत्री को मैगनीज ओर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर में ट्रामा केयर हास्पिटल की स्थापना के लिये एक करोड़ रुपये का चेक भेंट किया गया। यह जानकारी हमारे लिये श्री नवीन पुरोहित ने संकलित की है।

मुख्यमंत्री से मिले मुम्बई में उद्योगपति

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से गत दिनों मुम्बई में उद्योगपतियों एवं विभिन्न कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भेंट कर अपनी कम्पनियों के चल रहे प्रोजेक्ट के बारे में तथा अक्टूबर, *2012* में इंदौर में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में चर्चा की। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध संचालक श्री नोएल टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप के सी.ई.ओ. श्री थामस वर्गीस, ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के श्री के.के. माहेश्वरी एवं श्री ललित नायक, हिण्डालको के वाइस चेयरमैन श्री देवनारायण भट्टाचार्य, आइडिया सेलुलर के सी.ओ.ओ. श्री सुनील तोलानी, अजंता फार्मा लिमिटेड के श्री मधुसूदन अग्रवाल एवं श्री योगेश अग्रवाल शामिल हैं। इसके साथ ही गोदरेज एण्ड वायस के एम.डी. श्री जमशेद गोदरेज, सी.आई.आई. वेस्टर्न और क्यूमिक जनरेटर टेक्नालॉजी इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर श्री प्रदीप भार्गव, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड के डायरेक्टर श्री अरुण नंदा एवं मेस्टेक लिमिटेड के फाउण्डर श्री अंशक देसाई ने भी मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के. मिश्रा भी उपस्थित थे। टाटा इंटरनेशनल के श्री नोएल टाटा ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से अपनी भेंट में मध्यप्रदेश के देवास में मेघा लेदर क्लस्टर बनाने तथा अजंता फार्मा के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को मध्यप्रदेश में *25* मेगावॉट का सोलर प्लांट लगाने की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री से मुम्बई में मिले सीआईआई के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में फूड-पार्क, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और पर्यटन विकास पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि सीआईआई मध्यप्रदेश के इंदौर में अक्टूबर *2012* में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भागीदार हैं।

राज्यपाल से मिले नए मुख्य सचिव

राज्यपाल श्री राम नरेश यादव से प्रदेश के नये मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने राजभवन पहुँचकर सौजन्य भेंट की। मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री परशुराम की राज्यपाल से यह पहली मुलाकात थी। राज्यपाल श्री यादव ने श्री आर. परशुराम को प्रदेश के नये प्रशासनिक मुखिया के पद का कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई देते हुए कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के उनके दीर्घ अनुभवों का लाभ प्रदेश के विकास और जन-कल्याण के कार्यों में मिलेगा। श्री परशुराम ने भी राज्यपाल को आश्वस्त किया कि वे सौंपे गये दायित्वों के पूरी निष्ठा, निष्पक्षता तथा समर्पण के साथ निर्वहन के लिए सतत सक्रिय रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने किया गौशाला का भ्रमण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गायों एवं गौ-वंश का पालन और संरक्षण-संवर्द्धन सदैव से ही एक पुनीत कार्य माना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि रीवा

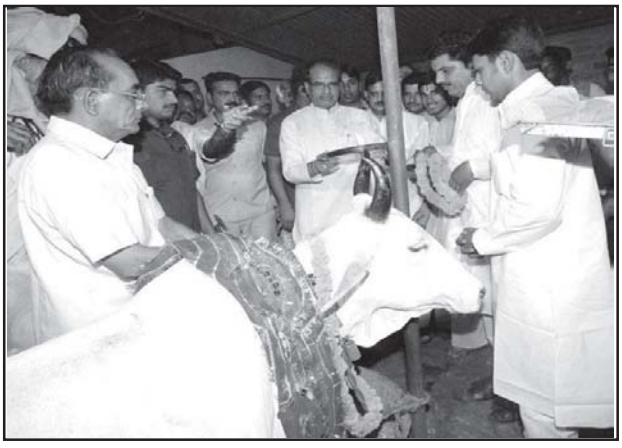

नगरवासियों और समाजसेवियों द्वारा गौ-शाला स्थापित कर की जा रही गौ-सेवा सराहनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान स्थानीय लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित गौ-शाला पहुँचे थे। प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री के गौ-शाला पहुँचने पर संचालन समिति के अध्यक्ष श्री कमलेश सचदेवा, उपाध्यक्ष श्री राजेश पाण्डे सहित संस्था पदाधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ गौ-पूजन किया। श्री चौहान ने पूर्व सांसद श्री भगवानदत्त शास्त्री और वरिष्ठ समाजसेवी श्री भैयालाल शुक्ल से मिलकर उनकी कुशल-क्षेम ली और उन्हें शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान महापौर श्री शिवेन्द्र सिंह, श्री जनार्दन मिश्र, श्री राजगोपालचारी, गौ-सेवक, गौ-शाला संचालन समिति के सदस्य और पदाधिकारी, ग्रामीण और नगरीय निकायों के जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री को अस्पताल के लिये चेक भेंट

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को मोआइल (मैगनीज ओर्स इंडिया लिमिटेड) के सी.एम.डी. श्री के.जे. सिंह द्वारा सीहोर में ट्रामा केयर हास्पिटल की स्थापना में सहयोग के लिये एक करोड़ रुपये का चेक भेंट किया गया। इस मौके पर सचिव खनिज श्री शैलेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री द्वारा मजूदर संघ की स्मारिका का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश के *19*वें त्रिवार्षिक प्रादेशिक अधिवेशन के अवसर पर प्रकाशित स्मारिका "संकल्प सोपान" का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रम कल्याण मंडल के समाचार पत्र 'श्रम कल्याण" का विमोचन भी किया। इस अवसर पर श्री सुल्तान सिंह शेखावत, श्री ज्ञानप्रकाश तिवारी, श्री भगवानदास गोंडाने, श्री रमेश शर्मा, श्री विनोद रिछारिया और श्री साबिर अंसारी उपस्थित थे।

वरिष्ठजन के हित में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश में वरिष्ठजन के हित में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वरिष्ठजन पंचायत में की गई घोषणाओं पर तेजी से अमल किया जा रहा है। श्री भार्गव गत दिनों मंत्रालय में राज्य वरिष्ठजन परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर परिषद के सदस्य और प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा भी मौजूद थीं।

बैठक में वरिष्ठजन के लिये बनाई जा रही आदर्श सेवा नीति के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा हुई। परिषद के सदस्यों ने बैठक में प्रस्तावित नीति के अलावा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण नियम-*2009* के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये। परीक्षण के बाद इन अनुशंसाओं को भारत सरकार को भेजा जायेगा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठजन के लिये संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रावधानों से अवगत करवाया गया।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य श्री प्रवीर कृष्ण ने जानकारी दी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये शासकीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में पृथक काउंटर की व्यवस्था है। प्रमुख सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण कल्याण नियम-*2009* के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में अनुभाग स्तर पर *200* से अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति हो चुकी है। ऐसे मामलों में जिला कलेक्टर के समक्ष अपील की जा सकती है। इस बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा जन-जागरूकता की कार्यवाही भी की जा रही है। इस अनूठी व्यवस्था में पक्षकार और सुलहकर्ता के मध्य वार्तालाप द्वारा निर्णय होता है। इसमें पुलिस, वकील, न्यायालय की मदद लेने की जरूरत नहीं है। वृद्धाश्रम में रहने वाले वरिष्ठजन को अब मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बीमारी के दौरान पैथालॉजी जाँच के लिये उन्हें *15* हजार तथा गंभीर आपरेशनों के लिये *3* लाख की मदद मुहैया हो सकेगी। इस बारे में प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर मंजूरी के लिये भेजे जा चुके हैं।

परिषद के सदस्य श्री के.के. भट्ट तथा श्री एस.के. सारस्वत ने भोपाल के ई-*4*, अरेरा कॉलोनी स्थित सार्वजनिक पार्क को वरिष्ठजन महासंघ को संचालन के लिये सौंपे जाने का प्रस्ताव भी दिया। मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने इसे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे जाने के निर्देश दिये। यह भी जानकारी दी गई कि प्रदेश के शासकीय कार्यालय भवनों में वरिष्ठजन के आवागमन को आसान बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वरिष्ठजन के साथ घटित होने वाले अपराधों की हर तीन माह में समीक्षा अब पुलिस महानिदेशक द्वारा की जायेगी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठजन की भविष्य-निधि तथा सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले स्वत्वों के भुगतान के लिये भी जरूरी कदम उठाये जायेंगे। सचिव सामाजिक न्याय श्री व्ही.के. बाथम ने बताया कि प्रदेश में ऐसे *11* जिलों, जहाँ वृद्धाश्रम नहीं हैं, में वृद्धाश्रम खोले जायेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र की मदद से पीपीपी मोड में भी वृद्धाश्रम खोलने के लिये कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस उद्देश्य से एक समिति का गठन किया जायेगा, जो प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उचित प्रस्तावों का चयन करेगी।

अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस *26* जून को

प्रदेश में मादक पदार्थ तथा मादक द्रव्यों के सेवन से बचाव के लिये *26* जून "अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस" के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राज्य शासन ने सभी कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। शासन ने इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किये हैं, जिसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पालिका, जनपद पंचायत एवं ग्राम-पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थाएँ तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधि शामिल हो सकें। साथ ही इस अवसर पर सेमीनार, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, नाटक का भी आयोजन किया जायेगा।

❑ देवेन्द्र जोशी

मनरेगा के संविदा-कर्मियों के हो सकेंगे स्थानांतरण

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में कार्यरत संविदा कर्मियों के अब स्थानांतरण हो सकेंगे। प्रदेश में मनरेगा संविदा कर्मियों के स्थान परिवर्तन के लिए नीति घोषित कर दी गई है। प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्थानांतरण स्वैच्छिक एवं प्रशासनिक दोनों स्तर पर किए जा सकेंगे। स्थानांतरण एक जून से *30* जून के मध्य होंगे। स्थानांतरण के लिए *30* मई तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा। संविदा कर्मियों के स्थान परिवर्तन, रिक्त पदों की उपलब्धता, योजना में कार्यभार एवं संविदा पदों की आवश्यकता तथा प्रशासनिक मद में धनराशि की उपलब्धता तथा संभाग/जिले में इस संवर्ग के अन्य एवं समकक्ष पदों की पूर्ति तथा रिक्ति की स्थिति के अनुसार होंगे। स्वैच्छिक आधार पर पति एवं पत्नी दोनों के शासकीय सेवा/शासन अंतर्गत संविदा सेवा में होने पर एक स्थान/जिले में यथासंभव पदस्थापना के लिए स्वयं अथवा आश्रितों की गंभीर बीमारी से उत्पन्न परिस्थितियों के लिए एवं संविदा कर्मियों के पारस्परिक स्वैच्छिक आवेदन पर व आपवादिक परिस्थितियों के कारण विशेष प्रकरण में विचार किया जाकर स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। प्रशासनिक आधार पर भी मनरेगा में कार्यरत संविदा कर्मियों के स्थानांतरण होंगे।

जिले से बाहर राज्य स्तर की अनुमति से होंगे स्थानांतरण- एक संभाग से दूसरे संभाग में और एक जिले से दूसरे जिले के बीच होने वाले समस्त स्थान परिवर्तन के लिए निर्णय एवं अनुमति राज्य स्तर से दी जाएगी। इसमें शासन के अनुमोदन के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। स्वैच्छिक एवं प्रशासकीय दोनों श्रेणी में जिले के अन्दर स्थान परिवर्तन के लिए जिला कलेक्टर सक्षम होंगे। कलेक्टर इस नीति के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कर अपने जिले के अन्दर दोनों श्रेणी में स्थान परिवर्तन कर सकेंगे।

❑ नवीन पुरोहित

ग्रामीण आजीविका मिशन का पहला चरण प्रारंभ

गरीब ग्रामीण परिवारों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पहले चरण में मध्यप्रदेश के *25* जिलों में आजीविका योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो रहा है। पहले चरण में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना में शामिल *10* जिलों और जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल *15* जिलों में आजीविका गतिविधियाँ शुरू होंगी। इनमें कुल *116* विकासखण्डों के *12* हजार *800* गाँव शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में अब वर्तमान में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना को पूर्ण संरचना के साथ मिशन के रूप में लागू किया जायेगा। गरीब ग्रामीण परिवारों को आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध करवाकर उनके समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये सुनियोजित प्रयास किये जायेंगे। इस उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों का गठन कर उन्हें बैंक लिंकेज प्रदान कर समूहों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की पहल की जायेगी। इसी उद्देश्य से गत दिनों राज्य-स्तरीय कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में शामिल जिलों में पदस्थ जिला कार्यक्रम अधिकारियों को केन्द्रीय मार्गदर्शिका के प्रमुख उद्देश्यों और सिद्धांतों से अवगत करवाया गया। इस दौरान वार्षिक कार्य-योजना का प्रस्तुतिकरण करते हुए क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने प्रतिभागियों को बताया कि अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना में शामिल जिलों में आजीविका गतिविधियों का एक साथ क्रियान्वयन होगा। मुख्य रूप से अब स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास होंगे। गरीब परिवारों को प्रेरित कर प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को आवश्यक रूप से स्व-सहायता समूह से जोड़ने की पहल होगी। इसके साथ ही ग्राम, विकासखण्ड और जिला-स्तर पर फेडरेशन गठित कर गरीब तबकों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में संगठित प्रयास होंगे। कार्यशाला में श्री बेलवाल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला में श्री रमन वाधवा और श्री मनोज सक्सेना ने जिला इकाइयों के नये कार्य-दायित्वों के बारे में जानकारी दी।

पॉली मल्चिंग पद्धति से सब्जी की खेती

बैसाख माह की तपती दुपहरी में लगभग *41* डिग्री से अधिक तापमान के बीच हम कंजेरा गाँव के हरे-भरे खेतों में पॉली मल्चिंग पद्धति से लगाई गई मिर्च की फसल और सब्जियों के खेतों में थे। तेज गर्मी के बावजूद कंजेरा के इन खेतों में सुकून भरी ठंडी बयार का अहसास हो रहा था। डी.पी.आई.पी. परियोजना के जरिये गठित समूहों की महिलाओं और किसानों ने इन खेतों में पहली बार गर्मियों में (जायद फसल) मिर्च की खेती शुरू की है। परियोजना टीम की प्रेरणा से उन्होंने इस नई तकनीक से मिर्च लगाई है जिसमें मिर्च भी अच्छी आ रही है। मिर्च के अलावा कंजेरा गाँव के खेतों में टमाटर, बैगन, करैला, लौकी, ककड़ी, खीरा, गिल्की आदि लगे हुए हैं जिनमें ड्रिप पद्धति से सिंचाई के इंतजाम किये गये हैं।

कंजेरा गाँव, सागर से तकरीबन *75* किलोमीटर दूर स्थित है जो डी.पी.आई.पी. के देवरी संकुल में आता है। कंजेरा में एक-दो नहीं बल्कि *29* किसानों के खेतों पर पॉली मल्चिंग पद्धति से मिर्च तथा गर्मियों में सब्जी की खेती की जा रही है। प्याज की लाल बोरियों में भरी फसल से लदी-ट्रेक्टर ट्रालियाँ और कहीं-कहीं ट्रक इस बात का सबूत देते नजर आते हैं कि इस क्षेत्र के किसान अपने परिश्रम और राज्य शासन की मदद से खेती को फायदेमंद बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं। भले ही प्याज के भाव इस बार अपेक्षाकृत कम मिल रहे हैं फिर भी किसान एकदम निराश भी नहीं हैं। गेहूँ की इस बार बम्पर पैदावार हुई है और किसान उत्साहित हैं।

कदम स्व-सहायता समूह में शामिल तारा बाई एवं उनके पति ओंकार पटेल बताते हैं कि पहले गर्मियों के समय कुएं से *10* डिस्मिल के खेत में भी मुश्किल से सिंचाई होती थी लेकिन ड्रिप सिंचाई लगवाने से एक से दो एकड़ खेत में सिंचाई हो रही है। इसी तरह पहले की तुलना में खेती में लगभग सौ फीसदी बचत है। पॉली मल्चिंग खेती में पानी, खाद, निंदाई आदि सभी में बचत है। इस पद्धति से फसल पर कीड़े भी कम लगते हैं।

ओंकार पटले बताते हैं कि डी.पी.आई.पी. दल की प्रेरणा से उन्होंने पहले देवास जिले के टोंक क्षेत्र का भ्रमण कर वहाँ पॉली मल्चिंग से मिर्च व करेले आदि की फसलों को देखा। वहां से लौटकर उन्होंने भी इसी तरह फसल लेने का निश्चय किया। उन्होंने महाराष्ट्र के जलगाँव क्षेत्र का एक्सपोजर भ्रमण किया है। वहाँ ग्रीन हाउस एवं अनार की खेती के फायदों को भी देखा। अब उन्होंने अपने खेत में मिर्च की नामधारी किस्म एवं शिमला मिर्च के अलावा करेले, लौकी, ककड़ी, खीरा, गिल्की आदि सब्जियों की फसलें लगाई हैं। मिर्च की फसल के आगामी नवम्बर-दिसम्बर तक पूरी तरह निकल आने के बाद वे टमाटर एवं करेला आदि सब्जियाँ लगायेंगे।

कदम स्व-सहायता समूह में शामिल रमा रानी एवं उनके पति चूड़ामन भी अपने खेत में पॉली मल्चिंग पद्धति से लगाई मिर्च की फसल को लेकर बड़ी उम्मीद रखते हैं। रमा रानी कहती हैं कि समूह में जुड़ने से यह फायदा हुआ है। खेतों पर ड्रिप सिंचाई लगवाई और अब हम साल में तीन फसलें ले सकेंगे। कदम स्व-सहायता समूह में शामिल लक्ष्मी बाई के खेत पर मल्चिंग पद्धति एवं बगैर मल्चिंग पद्धति के परम्परागत खेती के रूप में लगी मिर्च की फसल के अंतर को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

जिला कृषि समन्वयक श्री पंकज शर्मा बताते हैं कि खेती में किसानों द्वारा डायवर्सिफिकेशन अपनाने पर ही खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। किसानों को यह बात अच्छी तरह समझना होगी कि किस तरह की फसलें लगायें जो शीघ्र और ज्यादा लाभ दे सकें। उन्हें बाजार का विश्लेषण भी समझाना होगा।

सागर के जिला परियोजना प्रबंधक श्री हरीश दुबे कहते हैं कि जिले में खेती में सुधार और सब्जियों की पैदावार लेने के प्रति किसानों विशेषकर समूहों से जुड़ी महिलाओं के परिवारों का रुचि-रुझान धीरे-धीरे बढ़ रहा है। परियोजना दल द्वारा इस दिशा में लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जिले में बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज, जिला पंचायत एवं उद्यान विभाग के साथ समन्वय से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाये जा रहे हैं। साथ ही जिला पंचायत सागर के साथ समन्वय से गोदाम निर्माण तथा बंद पड़े दुग्ध शीत केन्द्र प्रारम्भ करने जैसे प्रयास किये गये हैं।

सहयोग दल समन्वयक श्री भानु दुबे बताते हैं कि फसलों के भण्डारण की दिशा में हम प्रयत्नशील हैं जिससे कि किसानों को अपनी उपज का मूल्य मिल सके। जिला पंचायत सागर से एस.जी.एस.वाय. योजना के तहत दो गोदाम कंजेरा एवं खरखरी में मंजूर हुए हैं। इनमें प्रत्येक पर *5* लाख *47* हजार रुपयों की राशि व्यय होगी। कंजेरा में परियोजना के जरिये गठित *7* समूहों में *89* महिलाएँ शामिल हैं। मिर्च की खेती के लिये कंजेरा के समूहों का लिंकेज बैंक ऑफ बड़ौदा की देवरी शाखा से किया गया है। इसमें *5* समूहों का प्रत्येक का चार-चार लाख रुपयों का बैंक लिंकेज हुआ है। बैंक मैनेजर श्री मनीष सिंह ने स्वयं गाँव का भ्रमण कर समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके बुक्स ऑफ रेकार्ड देखे हैं। कंजेरा में स्थापित पॉली मल्चिंग तकनीक के लिये *1* लाख *72* हजार *800* रुपये की लागत आई है। इसमें उद्यान विभाग से *86* हजार *400* रुपये की सब्सिडी शामिल है।

परियोजना द्वारा नवाचार के अंतर्गत *1* लाख *35* हजार रुपये की लागत से कंजेरा में पॉली हाउस का निर्माण कराया गया है। इसका संचालन गाँव में गठित श्रीराम समूह द्वारा किया जा रहा है। 'गाँव में एक जैसे बीज का उपयोग और एक जैसी उपज' की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। पॉली हाउस में नामधारी *1701* मिर्च, लौकी, गिल्की, पपीता, शिमला मिर्च आदि के पौधे तैयार किये गये हैं।

आँवले लगाये

समूह में शामिल पार्वती बाई और उनके पति श्री परमेश्वर दास ने ड्रिप सिंचाई एवं मिर्च की खेती के साथ अपने खेतों में लगभग ढाई सौ से ज्यादा आँवले के पौधे लगाये हैं, जिनमें फल भी आने लगे हैं। आँवले की एन-*53* किस्म के पौधे नंदन वन योजना के तहत लगाये गये हैं। पार्वती बाई *10*वीं तक पढ़ी हैं तथा वे बुक कीपर के साथ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रही हैं। कंजेरा गाँव में परियोजना के प्रथम चरण में लगभग *20* कुएं बने थे और *35* विद्युत पम्प स्थापित किये गये थे। इनसे द्वितीय चरण में ड्रिप सिंचाई पद्धति को जोड़ा गया है जो विकास की नई इबारत लिखने में मुख्य रूप से सहायक होगी।

आने वाले सीजन में कंजेरा में लगभग *13* एकड़ में टमाटर की खेती एवं खेतों की मेड़ों पर बांस के पेड़ लगाने के साथ ही अन्य वृक्षारोपण की योजना है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से कंजेरा के अनेक घरों में धुआं रहित चूल्हों का उपयोग किया जा रहा है। पिछली ग्राम सभा की बैठक में समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लेकर अपने घरों में शौचालय बनवाने एवं गाँव में शराब के सेवन जैसी बुरी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का संकल्प लिया है।

❑ आर.बी. त्रिपाठी

पॉली मल्चिंग (*Poly Mulching*) क्या है

सागर जिले के देवरी संकुल के कंजेरा गाँव में डी.पी.आई.पी. समूहों में शामिल महिलाओं और किसानों द्वारा ड्रिप के साथ मल्चिंग पद्धति से खेती करना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए किसानों द्वारा नये तरीके से खेती की तैयारी की गई जिसमें एक बंडमेकर यंत्र तैयार करवाया गया। बंडमेकर से एक-एक मीटर की दूरी पर बंड तैयार करवाये जिस पर ड्रिप बिछाई एवं ड्रिप के ऊपर मल्चिंग की बिछावन की। पौधरोपण से तीन-चार दिन पहले ड्रिप चालू कर बंड को अच्छी तरह से गीला कर दो-तीन दिन के लिये छोड़ा गया। फलस्वरूप मिट्टी से जो भाप की निकासी हुई वह मल्चिंग की वजह से तुरन्त बाहर नहीं निकल पाई तथा उसकी गर्मी से जमीन में पड़े हुए कीट व अंडे एवं फंगस के पेथोजन नष्ट होते गये।

बाद में किसानों द्वारा मल्चिंग पर होलमेकर से अल्टरनेट तरीके से दोनों लाइनों में होल बनाये गये जिन पर पॉली हाउस नर्सरी से तैयार पौधों को रोपित किया गया एवं ड्रिप द्वारा सिंचाई शुरू की गई।

इस तकनीक से किसानों को सब्जी की खेती में नीचे दर्शाये अनुसार लाभ प्राप्त हुए -

- मल्चिंग से नमी का संरक्षण हुआ। इससे सिंचाई में पानी कम लगने लगा।
- ड्रिप पद्धति से पानी बहाव पद्धति की अपेक्षा कम लगने लगा।
- रिजबेड पर पॉली मल्चिंग की बिछावन से खरपतवार निकलना पूरी तरह खत्म हो गया।
- बिछाई गई मल्चिंग की ऊपरी परत चमकदार होने की वजह से सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट होकर पौधों की पत्तियों के निचले हिस्से से टकराती है। इससे पत्तियों का निचला हिस्सा गर्म हो जाता है एवं उस पर किसी भी प्रकार का कीट आक्रमण नहीं कर पाता है।
- बिछाई गई पॉली मल्चिंग चिकनी एवं चमकदार होने की वजह से जमीन में पेड़ के पास रहकर पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट/इल्लियां ठहर नहीं पाती हैं। मल्चिंग पद्धति काफी हद तक कीट नियंत्रण में सहायक है।

इस पद्धति से खेती करने से खेती की लागत कम हुई एवं किसानों के लिए खेती फायदे का धंधा साबित हो रही है। किसान नई तकनीक को अपनाने में आगे आ रहे हैं।

कंजेरा के कदम समूह में शामिल तारा बाई का कहना है कि 'ड्रिप एवं मल्चिंग पद्धति से खेती करना हम सीख चुके हैं। इस साल मिर्च का अच्छा बाजार भाव हमें मिलता रहा तो हम जल्दी ही टपरिया से पक्के मकान पर आ जायेंगे।'

❑ पंकज शर्मा

विकास की ललक ने बदला जिन्दगी का दस्तूर

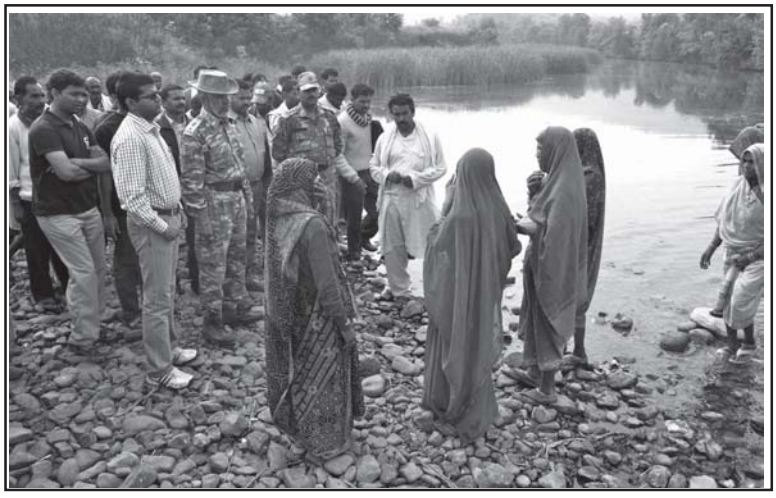

किसी भी क्षेत्र के विकास और मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन में समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। लोगों के मन में विकास की ललक और प्रशासन तंत्र में विश्वास जगाकर किये गये कार्य, विकास की मुख्यधारा से जुड़ने में अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित होते हैं। इस बात को चरितार्थ किया है भय, भूख, कुपोषण, पिछड़ेपन और दशकों से दस्यु आतंक का दंश भोग रहे सतना जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड मझगवां क्षेत्र के ग्रामीणों ने। यह मझगवाँ क्षेत्र के ग्रामीणों की पुलिस को की गई सहायता का ही परिणाम है कि प्रदेश के अंतिम सूचीबद्ध गिरोह का सफाया पुलिस कर सकी।

वन प्रान्तर से जुड़े हुये मझगवां विकासखण्ड में कोल, मवासी, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य अनुसूचित जाति के लोग बहुतायत में हैं, जिनकी जीविकोपार्जन का मुख्य माध्यम वनोपज आधारित है। पिछड़े और अपेक्षाकृत अविकसित विकासखण्ड मझगवां में पेयजल, पहुंच मार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव तो रहा ही साथ ही कुपोषण, मृत्यु, खाद्य असुरक्षा, रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की न्यूनतम सुविधायें भी क्षेत्र के विकास में बाधक बनी रहीं। क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ी समस्या लम्बे समय से चली आ रही परम्परागत डकैतों का आतंक रहा है। पूरे देश में कुख्यात डकैत शिवकुमार पटेल उर्फ ददुआ उसके बाद अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया फिर सुन्दर पटेल उर्फ रागिया यहां अपने आतंक की सल्तनत चलाते रहे हैं। वर्ष *2008* से *2011* की अवधि में इस क्षेत्र में *8* अपहरण, *27* हत्या, लूट और डकैती के अपराध डकैतों द्वारा किये गये।

बिछियन नरसंहार की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया इस लोमहर्षक घटना में डकैतों ने एक परिवार के *12* सदस्यों को जिसमें *5* महिलायें शामिल हैं को सामूहिक रूप से मकान सहित जिन्दा जला दिया था। क्षेत्र में डकैतों के आतंक ने प्रशासनिक तंत्र को गाँवों तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न की वहीं क्षेत्र के लोगों ने इसे अपनी नियति मानकर विकास को अनदेखा करना शुरू कर दिया। जिसके फलस्वरूप लोगों में पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास कम होने लगा।

राईट टू फूड समूह द्वारा जिले के मझगवां और उचेहरा में *65* कुपोषित बच्चों की मृत्यु पर लगाई गई माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के फलस्वरूप एक बार यह क्षेत्र पुनः राष्ट्रीय खबरों की सुर्खियों में रहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर शिकायत की जाँच की गई और शासकीय योजनाओं तथा कार्यक्रमों को निचले स्तर तक पहुँचाने के सुझाव दिये गये। मझगवां क्षेत्र में डकैतों के आतंक के चलते शासकीय मशीनरी को गाँव के लोगों तक पहुँचाना और शासकीय मशीनरी तथा प्रशासन में लोगों का विश्वास अर्जित करना सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया।

जिला प्रशासन ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुये रूपरेखा बनाई और सबसे पहले क्षेत्र के लोगों में अपने प्रति खो चुके विश्वास को पुनः अर्जित करने के प्रयास शुरू किये। वर्ष *2008* से कलेक्टर श्री सुखबीर सिंह ने जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ मझगवां क्षेत्र के गांवों को केन्द्रित करते हुये *19* रात्रि विश्राम शिविर के अलावा लगभग *100* गांवों से अधिक में शिविर लगाकर स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्यायें जानीं और निराकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये गये।

जिले के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करने से सरकारी अमले में आत्मविश्वास तो जागा ही ग्रामीणों से सहज, सरल बातचीत से गाँव वालों को भी प्रशासन के प्रति सहयोग की भावना और स्वयं के विकास की ललक उत्पन्न हुई। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मझगवां क्षेत्र के सबसे ज्यादा दस्यु आतंकित क्षेत्र देवलहा से रात्रि विश्राम की शुरुआत करते हुए कौहारी, सरईयन सहित विभिन्न ग्रामों में जिले और तहसील स्तर के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत के सरपंच, स्व-सहायता समूह और आम ग्रामीणों की चौपाल लगाई। जिला कलेक्टर सुखबीर सिंह ने पुलिस अधीक्षक हरिसिंह यादव के साथ नया वर्ष भी कुठिला पहाड़ में *2-3* ग्राम पंचायतों के लोगों के साथ मनाया। इसी ग्राम में *1000* कम्बल भी बांटे गये।

इस तरह के कार्य लोगों के बीच विश्वास का भाव पैदा करने के लिये किये गये।

ग्रामीणों को मुख्य धारा में लाने, प्रशासन और पुलिस के प्रति विश्वास जगाने, विकास कार्यों में समाज की सक्रिय भागीदारी, समाज को कुपोषण एवं भूख के विरुद्ध सशक्त करने और डकैतों के भय से मुक्त करने के उद्देश्य को लेकर प्रशासन के इस प्रयास को सकारात्मक सहयोग मिला। चौपाल में ग्रामीणों की चर्चा और मांग पर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य, शिक्षा के गुणात्मक सुधार से लोगों का विश्वास हासिल करने में सफलता मिली। 'आओ बनायें अपना म.प्र. अभियान' के स्वास्थ्य सेवा सुधार, कुपोषण के खिलाफ जंग, सबको शिक्षा, जल, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं मादक पदार्थों के उपयोग का दुर्व्यसन समाप्त करने के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ इस क्षेत्र में चलाया गया चलो गाँव की ओर अभियान को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांव स्तर पर अभियान के *1189* सदस्य बनाये गये। इन समितियों के माध्यम से *8* हजार *430* लोगों ने किसी भी तरह का नशा नहीं करने की शपथ ली। अक्टूबर *2010* से जनवरी *2011* तक क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव गरीब उत्थान शिविर लगाकर *12,526* हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। प्रत्येक गांव में*5* सी.आर.पी. कम्यूनिटी रिसोर्स परसन नियुक्त कर सभी योजनाओं के लिये मैदानी स्तर पर नोडल बनाया गया। यह कम्यूनिटी रिसोर्स परसन (*CRP*) ने स्व-रोजगार के कार्यों को बढ़ावा दिया ही, साथ ही ग्रामीणों एवं प्रशासन के बीच मध्यस्थता एवं समन्वय की भूमिका भी निभाई। विकासखण्ड में आयोजित किये गये दो अन्त्योदय मेलों एवं ग्राम पंचायत पर आयोजित *192* मेलों में पात्र हितग्राहियों का घर-घर चिन्हाकन कर *1,03,432* हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

स्वास्थ्य सूचकांक के उन्नयन और सेवाओं को निर्बाध पहुंचाने के कार्य में पहाड़ी और वन प्रान्तर पहुंचविहीन मझगवां के गांवों में पहुंच मार्ग का अभाव भी सबसे बड़ी समस्या रही। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं से इन तीन वर्षों में *173* किलोमीटर लम्बाई की सड़क निर्माण कर *139* गांवों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। इसके अलावा जी.एस.बी. और डब्ल्यू.बी.एम. की बारहमासी सड़कों से भी विभिन्न गांवों में पहुंच सुविधा का लाभ मिला। कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने शासन के कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्र मझगवां की प्रारम्भ गतिविधियों का भी अच्छा असर दिखा। वर्ष *2008* में धान की पैदावार *9.13* क्विंटल प्रति हेक्टर और गेहूं की *12.08* क्विंटल प्रति हेक्टर रही। वहीं वर्ष *2010-11* में धान की पैदावार *17.50* क्विंटल प्रति हेक्टर तथा गेहूं की *25.20* क्विंटल प्रति हेक्टर आंकी गई है।

कलेक्टर द्वारा मझगवां क्षेत्र में स्वच्छता और कुपोषण के लिये प्रारम्भ किये गये दस्तक अभियान में *113* कलरव शिविर लगे। गांव-गांव दस्तक अभियान के दलों ने जाकर स्वच्छ पेयजल के उपयोग हेतु पुराने मटके तोड़कर नये मटके दिलाये तथा साफ-सफाई के प्रति जागरूक बनाया। नतीजतन वर्ष *2008* में *10.06* प्रतिशत बच्चे कम वजन के होते थे। अभियान की पूर्णता पर यह आंकड़ा *4.6* प्रतिशत तक आ गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से खाद्यान्न वितरण को और भी दृढ़ता दी गई। स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर शिक्षकों की विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में मजदूरों की बकाया मजदूरी दिलाने मजदूरी भुगतान के विशेष शिविर लगाये गये। पेयजल एवं निस्तार की जल उपलब्धता हेतु पुराने तालाबों को छोटा-मोटा सुधार कर पानी आवक के रास्ते खोलकर वर्षा जल से भरने अभियान चलाया गया। इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा *3286* हितग्राहियों को उनकी काबिज आवासीय भूमि का पट्टा दिलाया गया। ग्रामीण में असुरक्षा की भावना दूर करने समाज की आवश्यकतानुसार इन तीन वर्षों में *299* व्यक्तियों को शस्त्र लायसेंस दिलाये गये।

जिला प्रशासन के सामाजिक सरोकार से जुड़ने के इस प्रयास के तहत लोगों में आत्मविश्वास जागृत होने के साथ ही विकास की ललक और सहयोग की भावना भी विकसित हुई। समाज और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से क्षेत्र में भय, भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सफलता मिली। प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत होने से लोगों ने क्षेत्र की दस्यु उन्मूलन समस्या से निजात पाने के लिये हर संभव सहयोग देना शुरू किया और नतीजा यह रहा कि लम्बे समय से क्षेत्र में सक्रिय सूचीबद्ध गिरोह के सफाये के क्रम में इनामी दस्यु सुन्दर पटेल को अपने चार साथियों के साथ *24* सितम्बर को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया।

मझगवां क्षेत्र का इतिहास रहा है कि ददुआ, ठोकिया के सफाये के बाद पुनः डकैतों के गैंग इस क्षेत्र में पनपते रहे हैं। परन्तु इस बार जिस तरह से समुदाय की सहायता, उनके सहयोग एवं उनकी इच्छाशक्ति पर यह कार्य किया गया है इससे लगता है कि अब यह किसी डकैत के लिये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा कि इस क्षेत्र में अब ददुआ, ठोकिया अथवा सुन्दर उर्फ रागिया जैसा बन सके। लोग अब विकास चाहते हैं और वे अब अपने भविष्य से समझौता नहीं करेंगे। दस्यु समस्या से मुक्त होकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत महसूस की और वे अब अन्य क्षेत्रों की तरह विकास और प्रगति के नये सोपान तय करने भरपूर मनोउत्साह से प्रयासरत हो गये हैं।

❑ राजेश कुमार सिंह

सुअर पालन से हुआ आर्थिक विकास

शहडोल जिला अपने आदिवासी अंचल के लिए प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचाना जाता है। शहडोल जिले में आदिवासी जनजातियों का रहन-सहन जीविकोपार्जन के लिये आज भी प्रकृति पर निर्भर है। यह जनजातियाँ प्राचीन समय से चली आ रही रीतियों के अनुसार ही गुजर बसर करती हैं। यहां की कुछ जनजातियां जैसे बैगा एवं बसोर में सुअर पालने की परम्परा रही है। परम्परागत रूप से सुअर पालने के कारण सुअर पालकों को विशेष आर्थिक लाभ नहीं हो पाता था। म.प्र. ग्रामीण आजीविका परियोजना की इकाइयों ने इन जनजातियों में सुअर पालने की रुचि एवं तरीकों का अध्ययन किया तथा उन्हें आधुनिक तरीके से सुअर पालन कराने का निर्णय लिया। ग्रामीण आजीविका परियोजना द्वारा सुअर पालकों की आजीविका को संवहनीय बनाने के लिए कई प्रयास किये जिसमें से एक सुअर पालन भी है। शहडोल जिले में ग्राम सभा के माध्यम से *184* हितग्राहियों का चयन किया गया। ग्राम कोष के माध्यम से सुअर पालकों को *20* हजार रुपये का ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया गया।

गतिविधि प्रारम्भ करने से पूर्व हितग्राहियों को आजीविका परियोजना एवं सहयोगी संस्था बायफ के चिकित्सकों द्वारा सुअरों के आवास निर्माण, आहार प्रबंधन एवं नस्ल सुधार का प्रशिक्षण दिलाया गया। सुअरों के आवास का निर्माण परियोजना की टीम की देख-रेख में कराया गया। ये आवास पक्के तथा इतनी ऊंचाई के बनाये गये, जिससे हितग्राही सुअरों की देख-रेख कर सकें। सुअर आवास के दरवाजे बड़े बनवाये गये तथा रोशनदान की भी व्यवस्था की गई। ऐसा करने से पशुपालक उन आवासों की नियमित सफाई करने लगे, जिससे उनके मल-मूत्र से फैलने वाली गन्दगी से छुटकारा मिल गया। फलस्वरूप सुअरों की घातक बीमारियों से होने वाली मृत्यु से निजात पा लिया गया।

ग्रामीण आजीविका परियोजना की जिला इकाई ने सुअर पालन का नया मॉडल तैयार किया जिसमें सुअरों को होने वाली बीमारियों को कम करने, उनके तीव्र वृद्धि तथा उन्नत नस्ल के सुअर पालन की रणनीति शामिल की गई। इसके साथ ही गोपाल का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। परियोजना के *10* से *15* ग्रामों के बीच पैरावेट की व्यवस्था की गयी। परियोजना के पशुपालन विशेषज्ञ डॉ. आशीष द्विवेदी ने बताया कि गोपालों को सुअरों के टीकाकरण, कृमिनाशक, प्राथमिक उपचार स्वाइन फीवर, गलघोंटू, मुंहपका, खुरपका रोग के टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया गया। सुअरों के बीमार पड़ने पर बायफ के चिकित्सक डॉ. सुनील नरबरिया द्वारा इलाज शुरू किया गया। जिले में सुअर पालकों को पशु-पालन विभाग की नस्ल सुधार योजना के तहत *80* प्रतिशत अनुदान पर

उन्नत नस्ल के नर सुअर मिडिल व्हाइट योर्क शापर नस्ल उपलब्ध करायी गयी जिससे देशी नस्ल के सुअरों में नस्ल सुधारने में कामयाबी मिलने लगी। मादा सुअर एक बार में औसतन *8* से *12* बच्चे जन्म देती है और वर्ष में दो बार बच्चे देती है। इस प्रकार सुअर पालक को वर्ष में *20* बच्चे मिल जाते हैं।

परियोजना द्वारा सुअरों के आहार पर भी ध्यान दिया गया। मादा सुअर अपने बच्चों को *50* से *60* दिन तक दूध पिलाती है, फिर बच्चे राशन ग्रहण करते हैं। भोजन में मुख्य रूप से मक्का, चावल का कोंदा, दाल की चुनी, खली एवं खनिज मिश्रण लेते हैं। एक वयस्क सुअर का आहार *2* कि.ग्रा. दैनिक होता है, इसके अतिरिक्त सुअर को घर, ढाबे आदि का बचा हुआ भोजन भी दिया जाता है। परियोजना के विषय विशेषज्ञ डॉ. आशीष द्विवेदी बताते हैं, कि सुअर अपने प्राकृतिक गुणों के कारण मनुष्य का मल, जूठन एवं अन्य अखाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ऐसा करके वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग तो देते ही हैं, साथ ही अपने शरीर का पोषण भी करते हैं।

व्यावसायिक रणनीति एवं परम्परागत सुअर पालन की तकनीक अपनाने से सुअर पालकों की आय में आशातीत वृद्धि हुई। एक वयस्क सुअर को बेचकर हितग्राही *5* से *6* हजार रुपये की आय प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त सुअर के बाल बेचकर भी सुअर पालक आय प्राप्त करते हैं। सुअर की बिक्री भी बहुत आसान है। सुअर के खरीददार उनके घरों से सुअर खरीद ले जाते हैं। जिले में सुअर पालक अब खुशहाली की राह पर चल पड़े हैं। हितग्राहियों की आय में वृद्धि होने से जहां उनके रहन-सहन का स्तर बढ़ा है, वहीं जागरूकता का भी संचार हुआ है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाने लगे हैं, वे भोजन में पौष्टिक आहार लेने के साथ ही साफ-सुथरे कपड़े भी पहनने लगे हैं।

❑ गजेन्द्र द्विवेदी

विकास की कहानी बयां करता नयागांव

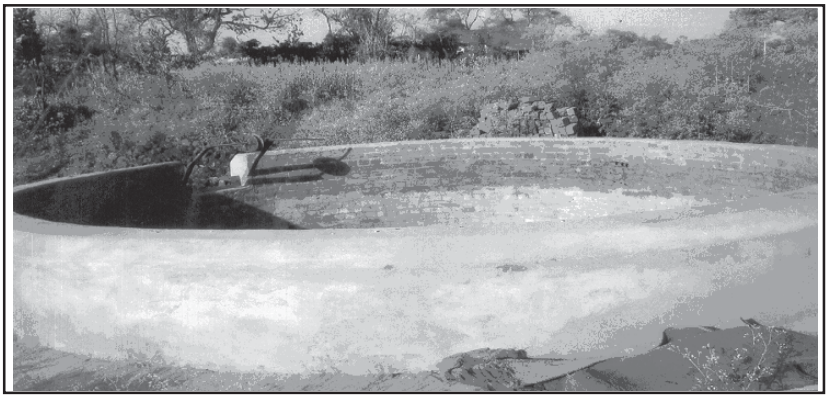

नयागांव स्वयं अपने गांव के विकास की कहानी बयां कर रहा है। यह हमारा नहीं बल्कि यहां के निवासियों का कहना है। नयागांव ग्राम पंचायत मुकुनवारा जनपद पंचायत जबलपुर के अंतर्गत आने वाला वह गांव है जहां रोजगार गारंटी योजना के आने से विकास की गंगा बह रही है। इस पंचायत के अंतर्गत आने वाला यह एक ही गांव नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत मुकुनवारा में कुहनी, जमुनिया *2* गांव और हैं जिनमें रोजगार गारंटी योजना से विकास हो रहा है। नयागांव की आबादी *1978* है जो गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत हुए तालाब विस्तारीकरण से पशुओं को पीने का पानी सिंचाई एवं अन्य उपयोग के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो गया है। पहले यहां पानी की मारा मारी में लोग दिन रात उलझे रहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है।

सम्पूर्ण गांव के लोग अब तालाब निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें गांव में ही रोजगार मिल गया है और गांव के विकास करने का मौका भी। ये सब कमाल हुआ है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आने से जिसके अंतर्गत पूर्व सरपंच निरपत सिंह ठाकुर, सचिव कोमल प्रसाद विश्वकर्मा एवं सचिव निरपत सिंह ठाकुर की अगुवाई में ग्रामसभा का आयोजन कर गांव के विकास कार्यों का प्रस्ताव पारित किया और फटाफट योजना स्वीकृति के बाद कार्य शुरू किया। अब लोगों को काम के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें गांव में ही काम मिलने के साथ ही कार्य स्थल पर योजनान्तर्गत श्रमिकों को उपलब्ध सुविधाओं का भी पूरा लाभ मिल रहा है जिससे महिला श्रमिक भी बहुत खुश हैं।

वर्तमान सरपंच गोमतीबाई ने बताया कि गांव के लोग अपने गांव में तालाब के निर्माण के बाद बहुत खुश हैं, क्योंकि अब गर्मी के दिनों में भी उन्हें निस्तार के पानी, पशुओं के लिये पीने का पानी तथा फसलों की सिंचाई के लिये पर्याप्त समय तक पानी प्राप्त होगा। अब ग्रामीणों ने तालाब के चारों ओर छायादार एवं शोभादार वृक्षों को लगाने की योजना भी बनाई है जिससे उसकी सुन्दरता के साथ पर्यावरण भी स्वस्थ बना रहे।

❑ ऋषिराज चढार

रंग लाई शिवकुमार की मेहनत

पाँचवीं पास व्यक्ति को कहीं नौकरी नहीं मिलती, परंतु मेहनत, लगन और सरकार की योजना की मदद से आज अपने घर की गरीबी दूर करने में सफल हूँ। यह कहना है डिण्डौरी जिले के मुकुटपुर गाँव के शिवकुमार राठौर का, जिसने दूसरों की दुकान में पंचर बनाते-बनाते आज अपनी खुद की दुकान का मालिक बनकर अपने साथ दूसरों को भी काम दिया। उन्हें अब हर माह नौ हजार रुपये की आमदनी भी होती है। छोटे से गाँव का पाँचवीं पास शिवकुमार राठौर दूसरे की दुकान में पंचर बनाता था। बचपन से ही उसकी तमन्ना थी कि वह स्वयं की दुकान खोलेगा। उसके पास हुनर व काम करने का हौसला तो था पर दिक्कत थी पूँजी की। शिवकुमार दूसरों की दुकान में काम कर धीरे-धीरे पैसे इकट्ठा करता रहा और एक दिन लोगों से उसे ग्राम कोष से ऋण के बारे में पता चला। बस फिर क्या था, लगा दिया उसने अपना आवेदन और ग्राम सभा ने उसे *10* हजार रुपये का ऋण दे दिया। अपने काम में तो वह होशियार था ही, सरकारी मदद ने उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। ऋण मिलते ही शिवकुमार ने कम्प्रेसर खरीद लिया और समनापुर-डिण्डौरी रोड पर शुरू कर दी पंचर की अपनी दुकान।

शिवकुमार ने बताया कि पढ़ा लिखा न होने के कारण वह छोटी उम्र से ही गाँव में दूसरों की दुकान पर काम किया करता था और अपने गरीब परिवार का भरण पोषण करता था। उन्होंने कहा कि पूँजी की उपलब्धता न होने से मैं अपना स्वयं का धंधा चालू नहीं कर पा रहा था। चूँकि गाँव में मजदूरी भी काफी कम मिलती थी और जो मिलती थी वह घर के काम में खर्च हो जाती थी। शिवकुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा उन्हें जो ऋण मिला उसी की बदौलत वह अपनी दुकान शुरू कर पाए। उन्होंने कहा कि शासन की योजना से मेरा अपनी दुकान खोलने का सपना पूरा हुआ है। शिवकुमार अपनी मेहनत और लगन से अपनी दुकान में स्वयं और सहभागियों के साथ सिर्फ साइकिल ही नहीं बल्कि चौपहिया वाहनों के पंचर भी बनाते हैं और वह आसपास के युवाओं के लिए मिसाल बन गये हैं।

❑ प्रदीप शुक्ला

गांव के विकास को रास्ता देती सड़क

बीजलगांव में इन दिनों लोगों के चेहरों पर खुशी ही खुशी नजर आती है। बीजलगांव से नवलगांव तक ग्रेवल रोड का निर्माण जो हो रहा है। बीजलगांव में दिसम्बर *2007* से ग्रेवल रोड निर्माण शुरू हुआ। गांव के *96* परिवारों को रोजगार मिला। *1.415* दिवस की सनतानवे हजार छः सौ तैंतीस रुपये की मजदूरी का भुगतान लोगों में हुआ। लोगों की खुशी की सीमा नहीं है। सड़क निर्माण कार्य में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सचिव श्री प्रेमशंकर मालवीया ने बताया कि सड़क का एक हिस्सा अब तक बनकर तैयार हो चुका है। आवागमन की मुश्किलों से लोगों को राहत मिली है। पहले सड़क न होने से आने जाने में मुश्किल होती थी। कृषि कार्य भी ठीक से नहीं हो पाता था। बारिस में स्थिति और भी खराब हो जाती थी। कीचड़ से कच्चा रास्ता जाने लायक नहीं रह पाता था।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जनपद खातेगांव की ग्राम पंचायत बीजलगांव में ग्रेवल रोड का निर्माण शुरू हुआ। इसमें लोगों को काम और सड़क निर्माण से आवागमन सुविधा प्राप्त हुई। सरपंच श्रीमती सुशीलाबाई बछानिया ने बताया अभी खाते में राशि नहीं होने से सड़क निर्माण कार्य बंद है। आगामी किश्त मिलते ही कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। यहां के सभी लोग इस योजना के क्रियान्वयन से बेहद प्रसन्न हैं। लोग सड़क निर्माण कार्य करने के लिये उत्सुक हैं।

❑ प्रीति मजुमदार

पानी की समस्या का हुआ समाधान

देवास जिले की ग्राम पंचायत भैसूनी के निवासी रमेश पुत्र चिरोंजी की जिन्दगी अब खुशहाल हो गई है। खुशहाली की प्रमुख वजह है पानी की समस्या का समाधान। जिससे रमेश के लिए खेती करना फिर से संभव हो गया है। पानी की समस्या का समाधान रोजगार गारंटी की उपयोजना कपिलधारा कूप के माध्यम से हुआ है।

रमेश के पास कृषि योग्य भूमि थी जिससे वो और उसका परिवार अपना जीवनयापन करता था। सबकुछ ठीक चल रहा था। कुछ वर्षों से पानी की समस्या बढ़ी तो उसकी समस्या भी बढ़ी और परिवार भी सफर करने लगा। खेती कम हुई और धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म हो गई। आय का एक मात्र स्रोत यदि बन्द हो जाये तो क्या स्थिति होती है? यह गांव में रहने वाले किसान से लेकर शहर में रहने वाला बाबू भी जानता है। इस स्थिति में रमेश में पास दूसरों के यहाँ कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अन्यत्र कार्य से भी कितनी आय हो सकती है और उससे पूरा परिवार किस प्रकार चलता होगा यह सोचा जा सकता है।

कुआं बनने से पानी की समस्या का समाधान काफी हद तक हो जाता। पर इतने पैसे यदि होते तो फिर आर्थिक हालात डगमगाते ही क्यों? जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। शासन की रोजगार गारंटी योजना की जानकारी रमेश को कैसे मिली। फिर क्या *26* फरवरी *2008* को रमेश के यहां कूप निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो *18* जुलाई *2008* को कूप के बनने के साथ ही खत्म हुआ। कुएं के निर्माण में *1.64* लाख रुपये की लागत आई। वह रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वहन की गई। पानी की समस्या का समाधान हुआ तो खेत में सिंचाई की समस्या खत्म हो गई। फसल सिंचित होने लगी और खेत फिर से सोना उगलने लगे। इससे रमेश और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति, रहन-सहन एवं जीवनयापन में भी बदलाव आया। रमेश और उसका परिवार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को किसानों के लिये जीवनदायिनी मानते हैं। सच ही तो है, पानी का दूसरा नाम जीवन ही तो है।

❑ प्रीति मजुमदार

मोबाईल पोस्ट ऑफिस से हुआ मजदूरी का भुगतान

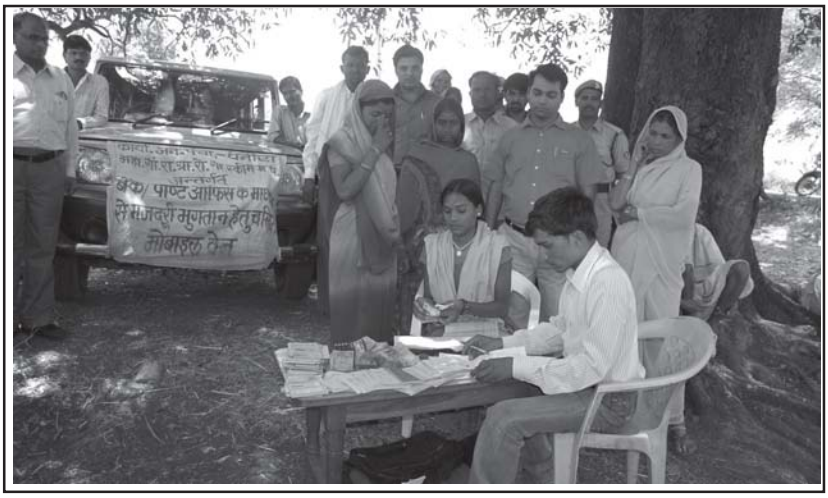

सिवनी जिले में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इन कार्यों की मजदूरी भुगतान के लिये जिले में अनूठी योजना प्रारंभ की गई है। मजदूरी का भुगतान अब गाँव में मोबाईल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। इससे जिलेवासियों को जहां गांव में काम मिल रहा है वहीं मजदूरी का भुगतान गांव में ही किया जा रहा है। पहले मजदूरी लेने लगभग *5* कि.मी. अथवा उससे अधिक दूरी पर बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था। परन्तु अब ग्रामीणों को गांव में काम तो मिल ही रहा है, साथ ही मजदूरी का भुगतान गांव में ही सार्वजनिक रूप से चलित पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री अजीत कुमार ने बताया कि यह सब जिला प्रशासन एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा किये गये अनुबंध के तहत संभव हो सका है। इस अनुबंध के तहत मोबाईल पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, सरपंच, सचिव एवं निर्माण कार्य से संबंधित अधिकारी गांव में एक निश्चित स्थल पर उपस्थित रहकर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करते हैं। इससे गांव वालों को मजदूरी पाने बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़ते हैं।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संकेत भोंडवे द्वारा मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है। श्री भोंडवे गत दिवस जनपद पंचायत धनौरा के ग्राम गोरखपुर में मजदूरी भुगतान के समय उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि गांव में ही मजदूरी का भुगतान होने से गांव वालों को दूर नहीं जाना पड़ता, इससे उनके समय एवं श्रम की बचत होती है। जिले की आठों जनपदों में मोबाईल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। जिले में हर जगह बैंक नहीं है तथा पोस्ट ऑफिसों की संख्या ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस पर लोगों का विश्वास भी है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से गांव वालों के सामने भुगतान हो रहा है। विड्राल फार्म भरकर देते हैं तथा भुगतान तत्काल होता है। मजदूरी का भुगतान गांव में ही होने से मजदूरों की संख्या में इजाफा हुआ है। क्योंकि मजदूरी लेने बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था जिसमें एक दिन लग जाता था उस दिन मजदूरी मिलने की कोई गारन्टी भी नहीं होती थी। इसलिये मजदूर कम आते थे।

जनपद पंचायत धनौरा के ग्राम गोरखपुर में भुगतान के समय सरपंच श्रीमती चन्नीबाई उइके ने बताया कि मजदूरों को भुगतान की जानकारी कोटवार श्री सुलेखचंद द्वारा मुनादी के माध्यम से दी जाती है। भुगतान की इस विधि से गाँव के लोग काफी खुश हैं। गांव में रोजगार गारन्टी योजना का काम मिल रहा है और मजदूरी भी अब गांव में ही मिलने लगी है। यह बात मजदूर श्री राजकुमार द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि पहले दूसरे गांव में मजदूरी लेने जाते थे, दिन भर लग जाता था और उस दिन काम भी नहीं कर पाते थे। परन्तु मोबाईल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी अब गांव में ही मिल रही है। इसी तरह श्रीमती आयशा ने बताया कि मजदूरी *15-15* दिन में गांव में ही मिल रही है। सरपंच श्रीमती उइके ने बताया कि पहले मजदूरी लेने सुनवारा जाते थे और एक दिन पूरा लग जाता था। अब गांव में ही मजदूरी मिल रही है। इसी तरह के विचार श्रीमती कलशीबाई, श्रीमती गीताबाई एवं अन्य मजदूरों द्वारा व्यक्त किये।

जिला पंचायत के माध्यम से संचालित रोजगार गारन्टी योजना में विकासखण्ड घंसौर के दूरस्थ अंचल में बसे ग्राम पुटरई में मजदूरी का भुगतान मोबाईल पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया गया।

सरपंच श्री भुकमनसिंह कुलस्ते, डाकपाल श्री सी.एल. बलारी एवं सचिव श्री डुमारीलाल द्वारा जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं गांव वालों के समक्ष स्थानीय प्राथमिक शाला भवन में मजदूरी का भुगतान किया गया। श्री रामनाथ ने बताया कि अब हमें किन्दरई मजदूरी लेने नहीं जाना पड़ता क्योंकि गांव में ही पोस्ट ऑफिस द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। मजदूरी गांव में ही मिलने पर हमें बहुत खुशी है। सरकार ने गांव में ही मजदूरी देकर अच्छा काम किया है। श्री रामनाथ ने बताया कि पहले *5* कि.मी. दूर मजदूरी लेने किन्दरई जाते थे, अब मजदूरी गांव में ही मिल रही है। डाकपाल ने बताया कि पुटरई में *120* मजदूरों को *84* हजार *783* रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया है। श्रीमती इन्दरवती ने बताया कि अब मजदूरी गांव में ही मिल रही है।

❑ राहुल सक्सेना

प्रिया साफ्टवेयर की ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन

पंचायत राज संचालनालय द्वारा ई-पंचायत कार्यक्रम के तहत पंचायतों में प्रयुक्त होने वाले प्रिया साफ्टवेयर में कार्य करने के लिये एन्ट्री कम प्रशिक्षण कार्यशाला के दूसरे चरण का आयोजन जनपद पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। जिसमें जनपद पंचायत में पदस्थ लेखा अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को प्रिया साफ्टवेयर में डाटा एवं वाउचर्स के साथ एन्ट्री का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
***1*, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल**
Fax No. 0755-2552899, E-mail - dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/ई-पंचायत/*12/4703* **भोपाल, दिनांक *11.5.2012***

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत (समस्त),
म.प्र.,

विषय - प्रिया साफ्टवेयर में 'प्रविष्टी कम ट्रेनिंग कार्यशाला' का 'द्वितीय चरण' आयोजित किये जाने बाबत्।
संदर्भ - प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास का पत्र क्र. *101*/ई-पंचायत/*PR/2012*, दिनांक *10.04.12*

विषयान्तर्गत संदर्भ में, कृपया अवगत हो कि **'प्रिया साफ्टवेयर'** में प्रविष्टी हेतु संचालनालय स्तर पर, दिनांक *17.04.12* से *27.04.12* तक 'प्रविष्टी कम ट्रेनिंग' की कार्यशाला आयोजित की गई थी। आयोजित हुई कार्यशाला **'प्रथम चरण'** में हुई थी। जिसमें मास्टर डाटा एन्ट्री हेतु जिला स्तर के 'डाटा' एन्ट्री किये गये थे। **'द्वितीय चरण'** में यह कार्यशाला जनपद स्तर के डाटा हेतु आयोजित है।

प्रथम चरण की कार्यशाला में अनुभव यह रहा कि जिला स्तर पर प्रिया साफ्टवेयर में मास्टर डाटा एन्ट्री एवं बाउचर्स एन्ट्री हेतु, जिलों के लेखा अधिकारी/सहा. लेखा अधिकारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा पूर्व में लिये गये प्रशिक्षण उपरांत एन्ट्री में पर्याप्त रुचि नहीं ली गई, जिसके कारण शासन स्तर एवं भारत सरकार स्तर पर अप्रसन्नता व्यक्त हुई है। जो कि खेदजनक है।

पाया गया है कि प्रिया साफ्टवेयर में प्रविष्टी हेतु लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा आवश्यक प्रयास नहीं किया गया। जिसमें म.प्र. राज्य का प्रिया साफ्टवेयर में रैंक अत्यधिक पीछे रहा, यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। जिला/जनपद स्तर पर प्रिया साफ्टवेयर की एन्ट्री हेतु **'प्रशिक्षित आपरेटरों को इस कार्य हेतु'** नामांकित किया जावे। जहाँ तक हो इस हेतु यदि लिखित में आवश्यक हो तो संबंधित लेखा अधिकारी एवं ऑपरेटर को आदेश भी जारी किये जावें। जहाँ एक से अधिक लेखा अधिकारी/सहा. लेखा अधिकारी/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हैं, वहाँ नोडल लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/डाटा ऑपरेटर नियुक्त करें ताकि वे इस कार्य को नियमित रूप से प्रति माह प्रतिबद्धता से करते रहें। इस हेतु बार-बार स्मरण करने की आवश्यकता न हो।

संचालनालय स्तर पर प्रथम चरण में कार्यशाला आयोजित किये जाने से इस कार्य में प्रगति हुई है। पहले बाउचर्स एन्ट्री की संख्या मात्र करीब *3500* थी जो अब करीब *13000* हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि इस कार्य में जिला/जनपद स्तर पर प्राथमिक रूप से जोर नहीं दिया जा रहा है, जो कि अत्यन्त आवश्यक है। इसी तारतम्य में **'एन्ट्री कम प्रशिक्षण कार्यशाला'** का **'द्वितीय चरण'** जनपद स्तर के डाटा के फीडिंग हेतु आयोजित की जा रही है। जनपद स्तर की आयोजित कार्यशाला का संभाग/जिलावार का चार्ट पत्र के साथ संलग्न है। प्रिया साफ्टवेयर में वित्तीय वर्ष *2011-12* के डाटा कार्यशाला में एन्ट्री की जानी है।

जनपद स्तर की आयोजित प्रिया साफ्टवेयर की एन्ट्री कम प्रशिक्षण कार्यशाला संचालनालय में द्वितीय चरण में आयोजित की जा रही है। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपनी जनपद में पदस्थ लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी एवं डाटा एन्ट्री आपरेटर अर्थात *2* व्यक्तियों को प्रिया साफ्टवेयर में डाटा एवं बाउचर्स (कम से कम *1* माह के सेन्ट्रल स्कीम के) के साथ एन्ट्री हेतु कार्यशाला में साथ लेकर भिजवाना सुनिश्चित करे। ध्यान रहे किसी अन्य कर्मचारी जो कि **'प्रिया साफ्टवेयर'** संबंधित डाटा विहीन व जानकारी न रखता हो, उसे न भेजा जावे।

प्रत्येक संभाग की प्रत्येक जिला पंचायत की जनपद पंचायतों के अनुसार बैच नम्बर दिया गया है, जो कि संलग्न तालिका में दर्शित है, उसी क्रम से प्रत्येक जनपद से*2* व्यक्तियों को इस कार्यशाला में उपस्थित होना है। कार्यशाला दिनांकों में बुलाये गये आगन्तुकों को ठहरने एवं शयनकाल खाने की व्यवस्था स्वयं करनी है। कार्यशाला दिनांकों में सिर्फ चाय/वर्किंग लंच की व्यवस्था रहेगी।

ध्यान रहे आपके जनपद से कार्यशाला में आगन्तुकों की अनुपस्थिती होने पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को स्वयं जिम्मेदार माना जावेगा एवं इसे गंभीरता से लिया जावेगा।

अतः तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार चार्ट एवं फार्मेट।

(विश्वमोहन उपाध्याय)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र.

जीवाजीगढ़ में निर्मलनीर से पानी मिला

देवास जिले के ग्राम पंचायत जीवाजीगढ़ में निर्मलनीर सामुदायिक कूप का निर्माण होने से गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो गया है। पहले ग्रामवासियों को पानी के लिये दूर-दूर तक भटकना पड़ता था। अब उन्हें गांव में ही पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। निर्मलनीर के संबंध में ग्रामवासियों ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संवर्धन एवं संरक्षण संबंधी कार्य करवाने से गांव में पानी का संकट लगभग समाप्त हो गया है।

एनआईईजीएस-एमपी योजनांतर्गत यहाँ कपिलधारा कूप व निर्मलनीर सामुदायिक कूप के निर्माण कराये गये हैं इससे पानी की समस्या हल हो गई है।

उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की हितग्राहीमूलक उपयोजना कपिलधारा कूप अंतर्गत दो हैक्टेयर व इससे अधिक कृषि भूमि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. वर्ग के परिवारों को नवीन कपिलधारा कूप भू-जल पुनर्भरण की व्यवस्था के साथ शासन द्वारा निशुल्क बनाये जाते हैं जिससे वर्षा आधारित एवं सिंचाई सुविधाविहीन कृषि क्षेत्रों में कृषि भूमि में गरीब किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके और खेती फायदे का धंधा बन सके। इसी प्रकार ग्रामीण आजीविका के आधारभूत संसाधनों के सुदृढ़ीकरण एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से सामुदायिक उपयोग के लिये निर्मलनीर कूप का निर्माण किया जाता है।

टोंकखुर्द विकासखण्ड की ग्राम पंचायत जीवाजीगढ़ निर्मलनीर कूप के निर्माण हेतु शासन द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी *3,23,000* की राशि स्वीकृत की गई जिसका कूप के निर्माण पर व्यय हुआ। कूप निर्माण में श्रम ग्रामीणों द्वारा ही किया गया, जिसकी उन्हें मजदूरी प्राप्त हुई। ग्रामवासियों में स्थाई पेयजल स्रोत उपलब्ध होने से पानी की उपलब्धता से हर्ष व्याप्त है।

❑ मनोज दुबे

प्रिया साफ्टवेयर में होगा लेखों का संधारण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी जिला एवं जनपद पंचायतों को अपने समस्त लेखांकन प्रिया साफ्टवेयर के माध्यम से संधारित करने के दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। प्रिया साफ्टवेयर में लेखांकन प्रवृष्टि करने हेतु सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायतों के मास्टर डेटा से संबंधित प्रविष्टियाँ की जायेंगी। इस संबंध में जारी आदेश को हम पाठकों के लिये यथावत प्रकाशित कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-*462004*

क्रमांक *101/e-Panchayat/PR/2012* **भोपाल, दिनांक *10.04.2012***

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त जिला पंचायत

विषय - प्रिया साफ्टवेयर में प्रविष्टि करने बाबत्।

संदर्भ - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र. *91* एवं *92/e-PRI/ProyaSoft/2011-12* भोपाल दि. *19.03.2012*

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के समस्त लेखांकन प्रिया साफ्टवेयर के माध्यम से संधारित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में *50* जिला पंचायत एवं *313* जनपद पंचायतों के *1* वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी/सहा लेखा अधिकारी एवं *1* डेटा एन्ट्री ऑपरेटर को अक्टूबर *2010* से फरवरी *2011* के मध्य में प्रिया साफ्टवेयर पर कार्यशाला *CRISP* में आयोजित कर *638* प्रतिभागियों को सम्पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया था। प्रिया साफ्टवेयर के ऑनलाइन प्रविष्टियों के विश्लेषण करने पर पाया गया है कि *50* जिलों में से *17* जिलों ने आज दिनांक तक मास्टर डेटा एन्ट्री प्रविष्टि ही नहीं की है। जिन जिलों ने मास्टर डेटा की प्रविष्टि की है वो भी अधूरी है। इन्हीं कारणों से प्रिया साफ्टवेयर का उपयोग सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है।

प्रिया साफ्टवेयर में लेखांकन प्रवृष्टि करने हेतु सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायतों के मास्टर डेटा से संबंधित प्रविष्टियाँ की जानी है। तत्पश्चात् जिला एवं जनपद पंचायत प्रिया साफ्टवेयर में मास्टर डेटा से संबंधित प्रविष्टियाँ एवं मैपिंग करेंगे। राज्य स्तरीय योजनाओं की प्रविष्टियां कर ली गई हैं। मास्टर डेटा से संबंधित प्रविष्टि एवं मैपिंग पूर्ण करने के पश्चात चार प्रकार के वाउचर (प्राप्ति/व्यय/कान्ट्रा/एडजेस्टमेन्ट) समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों के लेखा अनुसार प्रिया साफ्टवेयर में प्रविष्टि की जानी है।

प्रत्येक जिले के मास्टर डेटा एन्ट्री करने हेतु राज्य पर कार्यशाला पंचायती राज संचालनालय में आयोजित की गई है जिसकी रूपरेखा संलग्न है। इस कार्यशाला में प्रिया साफ्टवेयर से संबंधित तकनीकी कौशल विकास के साथ-साथ साफ्टवेयर में वास्तविक डेटा एवं प्रविष्टियाँ करवाई जायेंगी। कृपया कार्यशाला में आपके जिले के वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी एवं डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (योग्य व्यक्ति) को वांछित जानकारी एवं लेखे में प्रविष्टि योग्य कम से कम एक माह के वाउचर के साथ निर्धारित समय एवं दिनांक को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें। प्रशिक्षण के पश्चात जनपदों एवं ग्राम पंचायतों की एन्ट्री प्रिया साफ्टवेयर में सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(अरुणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश

Master Data Format for entry in to PRIA soft

Zila Panchayat
Janpad Panchayat
Gram Panchayat

Name of Bank	*Branch Name/ Location*	*Bank MICR Code*	*Branch Code*	*Bank IFSC Code*	*Bank account no.*	*Schemes assigned to bank account*	*Cheque Book cheques from (No.) to (No.)*	*Cheque Book date of issue*	*Opening Balance as on 1.4.2011*	*Opening Balance as on 1.4.2011 in Bank*	*Opening Balance as on 1.4.2011 In Hand*	*Opening Balance as on 1.4.2011 Total*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Scheme Name/Component	*Scheme Name (Abbreviation)**	*Scheme Name/Component (Local Language)*

Scheme Name Component	*Scheme Name (Abbreviation)**	*Scheme Name/ Component (Local Language)*	*Receipts*			*Expenditures*		
			Major Head	*Minor Head*	*Sub Head Code*	*Major Head*	*Minor Head*	*Sub Head Code*

Scheme Name/ Component	*Scheme Name (Abbreviation)*	*Scheme Name/ Component (Local Language)*	*Receipts*						*Expenditures*					
			Major Head	*Minor Head*	*Sub Head Code*	*Object Head Code*	*Object Head Description*	*Object Head Description (Local Language)*	*Major Head*	*Minor Head*	*Sub Head Code*	*Object Head Code*	*Object Head Description*	*Object Head Description (Local Language)*

पंच-परमेश्वर समेकित राशि के क्रियान्वयन पर नियंत्रण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों को पंच परमेश्वर योजना के तहत समेकित राशि प्रदान की जाती है। इस राशि से होने वाले निर्माण आंतरिक सड़क का निर्माण, आंगनवाड़ियों का निर्माण, नालियों का निर्माण आदि कार्यों के क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता पर यथोचित नियंत्रण रखा जाए। इस संदर्भ में जारी आदेश का यथावत प्रकाशन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/पं.राज/वित्त-यो/*2011-12/322* **भोपाल, दिनांक *5* अप्रैल *2012***

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिला, मध्यप्रदेश

विषय - पंच परमेश्वर-समेकित राशि से निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन पर यथोचित नियंत्रण।

संदर्भ - विभाग का पत्र क्रमांक पं.रा./वित्त-यो/*2011/119/9906* भोपाल दिनांक *11.11.11* एवं पत्र क्रमांक *1230/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012* भोपाल, दिनांक *4.2.2012*, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र क्रमांक *1785/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012* भोपाल, दिनांक *17.2.2012* एवं पत्र क्रमांक *3110/MGNREGS-MP/NR-3/SE-1/2012* भोपाल, दिनांक *21.3.2012*

आप अवगत हैं कि आयुक्त पंचायतराज को ग्राम पंचायतों के उपयोग के लिये प्राप्त होने वाली राशि को समेकित कर जिलों को उपलब्ध कराया जा चुका है। एकीकृत कार्ययोजना/बजट प्रणाली के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान उपलब्ध कराते हुए विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार इस राशि से निर्माण कार्यों की प्राथमिकता का भी निर्धारण निम्नलिखित क्रम में किया जा चुका है -

1. ग्राम के भीतर नाली सहित आंतरिक सड़क का निर्माण।

2. भवनविहीन आंगनवाड़ियों का निर्माण।

3. पुराने पंचायत भवनों में *200* वर्गफुट के ई-पंचायत कक्ष का निर्माण।

4. प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि के *10%* राशि का परिसम्पत्तियों के रखरखाव एवं सफाई कार्य के लिये उपयोग।

यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि इस राशि का उपयोग मनरेगा जैसे कार्यक्रमों से उपलब्ध राशि के साथ अभिसरण कर भी किया जा सकता है एवं तदनुसार ग्रामों में आंतरिक सड़कों के निर्माण के विषय पर विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आप सहमत होंगे कि सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा लापरवाही से तैयार की गई कांक्रीट सड़क का कोई उपयोग नहीं हो सकता तदनुसार विभाग ने सीमेंट कांक्रीट की आंतरिक सड़कों की गुणवत्ता के विषय पर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता द्वारा कुछ जिलों के निरीक्षण में यह पाया गया है कि सीमेंट कांक्रीट सड़कें बनाने में गुणवत्ता का यथोचित ध्यान नहीं रखा गया जिसके कारण कुछ पंचायतों में स्तरहीन सीमेंट कांक्रीट सड़कों का निर्माण हुआ है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत सम्पन्न किए जा रहे सीमेंट कांक्रीट की आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य पर आपके स्तर से कड़ाई से मॉनीटरिंग की जाए एवं निर्माण कार्य खराब पाये जाने पर स्पष्ट उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए।

सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के निर्माण के लिए निम्नानुसार कार्यवाही एवं दायित्वों का निर्धारण किया जाता है।

1. सीमेंट कांक्रीट सड़कों में गुणवत्ता एक अति संवेदनशील मुद्दा है अतः कलेक्टर अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि इन सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की कड़ाई से सघन निगरानी की जाए। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की सेवाओं का इस विषय पर वर्तमान में

उपयोग किया जाना आवश्यक है, उन्हें यह दायित्व दिया जाए कि वे ग्राम पंचायतों का सघन निरीक्षण करते हुए यह देखें कि पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतें, विभाग के निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कर रही हैं अथवा नहीं यदि निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायतें पाई जाएं तो उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2. सीमेंट कांक्रीट के मिश्रण को हैण्ड ऑपरेटेड मिक्सर मशीन से ही तैयार किया जाएगा मैन्युअली नहीं एवं मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा को तकनीकी निर्देशों के अनुसार कड़ाई से नियंत्रित किया जाएगा। सीमेंट कांक्रीट का मिश्रण डालने के उपरान्त प्लेट वायब्रेटर के द्वारा इस कांक्रीट का काम्पेक्शन सुनिश्चित किया जाना है। तकनीकी प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न हो यह सुनिश्चित करने के लिये यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है सीमेंट कांक्रीट के मिश्रण को बनाने एवं उसे फैलाकर काम्पेक्शन करने का कार्य अनिवार्य रूप से उपयंत्री या सहायक यंत्री की उपस्थिति में किया जाए।

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि कोई भी ग्राम पंचायत बिना उपयंत्री/सहायक यंत्री की उपस्थिति के इस कार्य को संपादित न करें। इस हेतु सहायक यंत्री के परामर्श से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक उपयंत्री के कार्यक्षेत्र में सीमेंट कांक्रीट कास्टिंग का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार उपयंत्री/सहायक यंत्री की उपस्थिति में ही ग्राम पंचायतें उक्त निर्माण कार्य संपादित करें।

4. जैसा कि पूर्व में निर्देश दिए गये हैं, कम से कम *10%* कार्यों में सीमेंट कांक्रीट की कॉस्टिंग के समय सहायक यंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार हो रहा है।

5. सीमेंट कांक्रीट की कास्टिंग का कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त सीमेंट कांक्रीट की तराई निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि ग्राम पंचायतें तराई के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करें अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा तराई के लिए क्या व्यवस्था की गई है इसकी स्पष्ट स्थिति एवं व्यवस्था की जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने पास रखते हुए वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जनपद पंचायत में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी वे इस प्रकार लगाएं कि प्रत्येक सीमेंट कांक्रीट सड़क के निर्माण के अगले दिन से कम से कम *24* दिन तक लगातार प्रत्येक दिन कोई न कोई अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य का निरीक्षण करें एवं यह देखें कि सीमेंट कांक्रीट की निर्देशानुसार तराई हो रही है कि नहीं। निरीक्षणकर्ताओं को यह स्पष्ट अधिकार होने चाहिए कि यदि उनके निरीक्षण के समय यह पाया जाए कि निर्धारित तराई नहीं हो रही है तो वे तुरन्त तराई की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें।

6. सीमेंट कांक्रीट की सड़कों के मूल्यांकन के विषय पर स्पष्ट किया जाता है कि काम के चलते समय मापों के आधार पर उपयंत्री द्वारा जो मूल्यांकन किया जाएगा उसे केवल प्रावधिक मूल्यांकन माना जाए। सीमेंट कांक्रीट सड़क का अंतिम मूल्यांकन सड़क कार्य पूर्ण होने एवं निर्धारित तराई किए जाने के उपरान्त सीमेंट कांक्रीट में उचित स्ट्रेंथ आ जाने के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही उपयंत्री द्वारा किया जाए एवं सीमेंट कांक्रीट सड़कों के शत-प्रतिशत मूल्यांकनों की जांच सहायक यंत्री द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. निर्माण कार्य के सम्पादन में तकनीकी दिशा-निर्देश देने, मूल्यांकन करने अथवा स्वयं की उपस्थिति में सीमेंट कांक्रीट की कॉस्टिंग करवाने में यदि किसी उपयंत्री या सहायक यंत्री द्वारा लापरवाही की जाती है तो तुरन्त कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

8. उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार यदि सीमेंट कांक्रीट की सड़क पूर्ण होने के बाद क्षतिग्रस्त होती है तो अंतिम मूल्यांकन करने वाले तकनीकी अधिकारी एवं सहायक यंत्री का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाए।

पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत सम्पन्न किए जा रहे निर्माण कार्यों की संवेदनशीलता को देखते हुए यह आशा की जाती है कि कलेक्टर्स कार्यों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखते हुए योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

(अरुणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पंच परमेश्वर योजना की दूसरी किस्त का निर्गमन

पंचायत राज विभाग के अंतर्गत आने वाली त्रिस्तरीय पंचायतों को 13वें वित्त आयोग एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग के नियमानुसार पंच परमेश्वर योजना की दूसरी किस्त का निर्गमन कर दिया गया है जो ग्राम पंचायतों को जिले की लीड बैंकों के माध्यम से प्राप्त होगी। द्वितीय किस्त की राशि को कोर बैंकिंग खातों में 3 दिवस में और नॉन कोर बैंकिंग खातों में 7 दिवस के अंदर ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंचाया जायेगा।

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश
1*, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ परिसर, भोपाल-*462004
(Telephone 0755-2557727, Fax-0755-2552899, E-mail : dirpanchayat@mp.Gov.in)

क्रमांक/पं.राज/एकीकृत बजट/*2011-12* **भोपाल, दिनांक / /*2012***

प्रति,

महाप्रबन्धक
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया/
बैंक ऑफ इंडिया/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/
बैंक ऑफ बड़ौदा/इलाहाबाद बैंक/
पंजाब नेशनल बैंक

विषय - *1*. त्रिस्तरीय पंचायत राज के अंतर्गत सीधे ग्राम पंचायतों को बजट अनुदान दिए जाने हेतु पंच-परमेश्वर योजना की द्वितीय किस्त का निर्गमन बाबत्।

2*. संचालनालय का पत्र क्रमांक/पं.राज/एकी.बजट/*2011-12/11416* दिनांक *29.12.2011

उपरोक्त विषय में आपसे समक्ष में चर्चा हुयी है और राज्य शासन द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के आधार पर एक स्कीम एक बैंक नीति को दिनांक *11.11.2011* के परिपत्र के आधार पर बदलकर बैंकों को स्कीम के परफारमेंस के आधार पर लीड बैंक के माध्यम से वितरण हेतु स्कीम लागू की गयी है। इसी तारतम्य में जैसा कि आप अवगत हैं कि आयुक्त पंचायत राज के अंतर्गत आने वाली त्रिस्तरीय पंचायत राज की *13*वें वित्त आयोग एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग एवं अन्य बजट की राशि संकलित करते हुए नियमानुसार वितरण को नई स्कीम के तहत ग्राम पंचायतों को धनराशि सीधे दी जाना है। उक्त धनराशि का वितरण नयी एकीकृत बजट प्रणाली के आधार पर जिले की लीड बैंकों के माध्यम से कराया जावेगा। मध्यप्रदेश में निम्नानुसार बैंकों को लीड जिले आवंटित हैं -

स.क्र.	लीड बैंक का नाम	लीड एरिया
1.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	*1*. विदिशा, *2*. श्योपुरकला, *3*. अशोकनगर, *4*. गुना, *5*. शिवपुरी, *6*. कटनी, *7*. हरदा, *8*. छतरपुर, *9*. दमोह, *10*. पन्ना, *11*. टीकमगढ़, *12*. उमरिया, *13*. नीमच
2.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	*1*. रायसेन, *2*. ग्वालियर, *3*. भिण्ड, *4*. मुरैना, *5*. होशंगाबाद, *6*. बैतूल, *7*. रतलाम, *8*. मंदसौर, *9*. सागर, *10*. नरसिंहपुर, *11*. मण्डला, *12*. डिण्डौरी, *13*. शहडोल, *14*. अनूपपुर, *15*. छिन्दवाड़ा, *16*. सिवनी, *17*. बालाघाट, *18*. जबलपुर
3.	बैंक ऑफ इंडिया	*1*. बड़वानी, *2*. भोपाल, *3*. बुरहानपुर, *4*. देवास, *5*. धार, *6*. इन्दौर, *7*. खण्डवा *8*. खरगौन, *9*. राजगढ़, *10*. शाजापुर, *11*. उज्जैन, *12*. सीहोर

4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	*1*. रीवा, *2*. सीधी, *3*. सिंगरौली
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा	*1*. झाबुआ, *2*. अलीराजपुर
6.	इलाहाबाद बैंक	*1*. सतना
7.	पंजाब नेशनल बैंक	*1*. दतिया

2. इस लीड बैंक तथा एकीकृत बजट योजना, स्कीम के तहत आपसे अनुरोध करते हुए इस नयी स्कीम कोगूलकरने के लिये भारत सरकार के निर्देशों के आधार पर राशि वितरण के लिये द्विपक्षीय अनुबंध का करार भी आपसे किया जा चुका है। आपके द्वारा इस स्कीम को स्वीकार करते हुए राज्य शासन की दी जा रही राशि को कोर बैंकिंग खातों में *3* दिवस तथा नॉन कोर बैंकिंग खातों में *7* दिवस के अन्दर ग्राम पंचायत के खाते में पहुंचाने की स्वीकृति अनुसार कार्यवाही करेंगे।

3. अपने-अपने लीड बैंक वाले जिलों में ग्राम पंचायत से *5* कि.मी. की परिधि में बैंक की मैपिंग करते हुए अप्रैल माह के अंत तक जानकारी पंचायत राज संचालनालय को प्रस्तुत की जाना है।

4. इस स्कीम के तहत आपके निर्धारित बैंक की भोपाल स्थित शाखाओं को नोडल बैंक बनाया गया है। आपसे से संबंधित जिलों की धनराशि को आपकी शाखा के नोडल बैंक भोपाल में जमा करायी जा रही है। अतः राज्य शासन द्वारा इस स्क ीम के तहत दिनांक *11.11.2011* तथा *28.12.2011* को जारी प्रपत्र-*1* व *2*, इस पत्र के साथ संलग्न है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत स्तर तक वर्ष *2011-12* के आवंटन की राशि का वितरण उक्तानुसार किया जाना है। वितरण हेतु निम्न जानकारी संलग्न है -

1. लीड बैंकों को जारी होने वाली पंच-परमेश्वर योजना की द्वितीय किस्त की राशि जिलेवार कुल राशि की सूची।

2. सूची अनुसार जिले के समस्त जनपद एवं ग्राम पंचायतवार राशि वितरण की सी.डी.।

आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर आपको तथा आपके अधीनस्थ स्तरों पर कारगर कार्यवाही समय-सीमा के अंतर्गत सुनिश्चित करने का कष्ट करें। आपके सहयोग के लिये धन्यवाद।

संलग्न - उपरोक्तानुसार सहपत्र।

(विश्वमोहन उपाध्याय)
आयुक्त,
पंचायत राज, म.प्र.

पृ.क्रमांक/पं.राज/एकीकृत बजट/*2011-12/2835* **भोपाल, दिनांक *13.4.2011***

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल की ओर उनके द्वारा जारी स्कीम व अनुमोदन अनुसार सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
3. समस्त कलेक्टर्स म.प्र.।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
पंचायत राज, म.प्र.

समय सीमा में हो अविवादित नामांतरण एवं बंटवारों का निराकरण

पंचायत राज अधिनियम में समस्त ग्राम पंचायतों को धारा 110 के तहत अविवादित नामांतरण एवं धारा 178 के तहत अविवादित बंटवारों के मामलों के निराकरण करने का अधिकार दिया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर प्रकरण के निराकरण न होने के कारण सिटीजन चार्टर की सीमा के बाहर मामले लम्बित हो रहे हैं अतः ग्राम पंचायतें 45 दिन की समयावधि में अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारों के मामलों का निराकरण करें।

कार्यालय प्रमुख राजस्व आयुक्त
माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, भोपाल

क्र. एफ-/*1*/प्रराआ/*2012*/*1428* **भोपाल, दिनांक *4* मई, *2012***

प्रति,

1. कलेक्टर, (समस्त)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय - अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारों का समय-सीमा में ग्राम सभाओं द्वारा निराकरण।

म.प्र. शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ *7-7-94*/सात/समन्वय दिनांक *21.10.94* द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता *1959* की धारा *24*(*1*) के तहत पंचायत राज अधिनियम *1993*(क्र-*1* सन् *1994*) के अधीन गठित की गई समस्त ग्राम पंचायतों को धारा *110* के अधीन अविवादित नामांतरण तथा धारा-*178* के तहत अविवादित बंटवारा के मामलों को निराकृत करने के अधिकार दिये गये थे। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ *2-3*/*2010*/*692* ए, बी दिनांक *04.05.11* से यह अधिकार ग्राम सभाओं को *45* दिन के भीतर निराकरण हेतु प्रदत्त हैं। *45* दिन की समयावधि में निराकरण न होने पर तहसीलदार द्वारा मामले निराकरण हेतु निर्देशित है।

2. शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ ग्राम पंचायत/ग्राम सभाओं द्वारा समय पर प्रकरण निराकृत नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण सिटीजन चार्टर की सीमा से बाहर मामले लम्बित हो रहे हैं। अतः अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा समय-सीमा में निराकृत हो, इसके लिये निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं -

1. अविवादित नामांतरण एवं अविवादित बंटवारा की सूचना प्राप्त होने पर ऐसी सूचना पटवारी को प्रेषित की जायेगी। पटवारी के ज्ञान में सूचना किसी भी माध्यम से या सीधे आने पर वह तत्काल नामांतरण पंजी/बंटवारा पंजी में मामला दर्ज करेगा।

2. अविवादित नामांतरण के मामले में सूचना के दर्ज दिनांक से *3* दिवस के भीतर पटवारी द्वारा *4-4* प्रतियों में उद्घोषणा पत्र तैयार की जावेगी जिसमें हितबद्ध पक्षकारों के नाम व भूमि का विवरण अंकित कर दावे/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु *15* दिवस आगे की तिथि व दावे आपत्ति प्राप्त करने का स्थान ग्राम पंचायत कार्यालय नियत कर पटवारी एवं सचिव के हस्ताक्षर से जारी की जावेगी। जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर, एक प्रति ग्राम के चौपाल पर व एक प्रति पटवारी कार्यालय में चस्पा कराके ग्राम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जाकर पंचनामा तैयार किया जावेगा। यह पंचनामा उद्घोषणा की तामिल शुदा प्रति के साथ एवं हितबद्ध पक्षकारों के आवेदन पत्र, फोती के मामले में मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड स्वत्व दस्तावेज व खसरा बी-*1* की प्रति तथा भूमि संबंधी पटवारी के जांच प्रतिवेदन के साथ सचिव के रिकार्ड में रखे जावेंगे। हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र भी नियत दिनांक के पूर्व कोटवार के माध्यम से तामिल कराकर सचिव के रिकार्ड नस्ती में रखे जावेंगे। इस नस्ती पर नामांतरण पंजी का क्रमांक व दर्ज दिनांक अंकित करते हुए नस्ती में संलग्न कागजात क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित कर व्यवस्थित रूप से रखे जावेंगे। यह नस्ती ग्राम पंचायत का स्थाई अभिलेख होगा।

3. अविवादित नामांतरण के मामले में नियत दिनांक तक कोई आपत्ति दावा प्राप्त न होने पर तथा भू-अभिलेख में आवेदित भूमि शासकीय पट्टा अथवा भूदान धारक की भूमि है या नहीं तथा अन्यथा शासन से विवादित तो नहीं है इस संबंधी टीप भी नामांतरण पंजी पर दर्ज करेगा। साथ ही मृतक के मामले में वैध वारिसान की जानकारी का प्रतिवेदन भी तैयार करेगा तथा इस जाँच कार्यवाही में आवेदित भूमि को

अविवादित पाई जाने पर मामला सरपंच को अवलोकन कराकर पटवारी व सचिव द्वारा अगली ग्राम सभा के समक्ष रखा जावेगा तथा ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4. ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर अगले *3* दिन में सचिव प्रस्ताव एवं संख्या की प्रति तैयार करेगा तथा पटवारी एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से अभिलेख दुरुस्त कर पक्षकारों को लिखित सूचना देकर भू-अधिकार ऋणपुस्तिका जारी करने/संशोधित करने हेतु राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीलदार को प्रस्तुत करेंगे। तहसीलदार द्वारा ऋणपुस्तिका हस्ताक्षर करा तत्पश्चात संबंधित को जारी की जावेगी।

5. अविवादित बंटवारा - अविवादित बंटवारा के मामले में सहखातेदार जिनके भू-अभिलेख में स्वत्व अंकित है की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र/सूचना को पटवारी द्वारा दर्ज दिनांक से *3* दिन के अंदर म.प्र. भू-राजस्व संहिता *1959* की धारा *178* के तहत निर्मित नियम क्र. *2* के अनुसार प्रारूप 'क' पर हितबद्ध पक्षकारों को सूचना *2-2* प्रतियों में तथा प्रारूप 'ख' पर उद्घोषणा पत्र *4-4* प्रतियों में पटवारी एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी की जावेगी जिसमें दावे/आपत्ति एवं सुनवाई हेतु अगली तिथि कम से कम *30* दिवस आगे की नियत की जावेगी। उद्घोषणा की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय, दूसरी प्रति ग्राम की चौपाल पर व एक प्रति पटवारी कार्यालय पर कोटवार के माध्यम से चस्पा कराई जाकर मुनादी कराई जावे तथा इस आशय का पंचनामा उद्घोषणा पत्र की तामीलशुदा प्रति के साथ रिकार्ड में रखेंगे, साथ ही पक्षकारों को जारी किये गये सूचना पत्र की तामील शुदा प्रति भी एक साथ कर नस्ती में रखेंगे। नियत दिनांक तक कोई दावे आपत्ति प्राप्त न होने पर तथा सहखातेदारों की सहमति प्राप्त होने पर मामला अविवादग्रस्त बंटवारा माना जाकर ग्राम सभा के समक्ष निराकरण हेतु रखा जावेगा। अन्यथा किसी सहखातेदार अथवा खातेदार/हितबद्ध की आपत्ति प्राप्त होने पर मामला विवादग्रस्त मानकर संबंधित तहसीलदार को निराकरण हेतु अंतरित किया जावेगा।

6. अविवादित बंटवारा के मामले में पटवारी आवेदित भूमि के रिकार्ड की जाँच कर रिपोर्ट देगा कि वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार/अंशधारी कौन-कौन हैं तथा अन्य कोई विवाद तो नहीं है तदोपरांत मामला पटवारी/सचिव द्वारा प्रकरण के तथ्यों से सरपंच को अवगत कराकर मामला ग्राम सभा के समक्ष रखा जावेगा। ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त होने पर प्रस्ताव ठहराकी प्रति बंटवारा हेतु संधारित ग्राम पंचायत की नस्ती/पटवारी को दी जावेगी। पटवारी अगले *07* दिवस के भीतर स्थल पर जाकर सहखातेदारों के अभिलेखों में दर्ज स्वत्व एवं कब्जा को ध्यान में रखते हुए उनसे चर्चा कर बटाक फर्द तैयार करेगा। सहखातेदारों को नक्शा बटानपर समझाया जाकर उनसे सहमति के हस्ताक्षर फर्द बटान व नक्शा ट्रेस पर प्राप्त किये जावेंगे तथा फर्द बटान व नक्शा ट्रेस एवं भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका राजस्व निरीक्षक के माध्यम से तहसीदलार को भेजेंगे। तहसीलदार द्वारा नियमानुसार बंटवारा शुल्क जमा कराकर फर्द बटान स्वीकृत कर तदानुसार अभिलेख व नक्शा दुरुस्त कराया जावेगा तथा स्वीकृत बटान की एक प्रति ग्राम पंचायत के अभिलेख नस्ती में, एक प्रति पक्षकार को तथा एक प्रति पटवारी के रिकार्ड हेतु दी जावेगी। अभिलेख दुरुस्त कर खसरा प्रति एवं भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका संबंधित कृषकों को ग्राम सभा प्रस्ताव पारित होने से उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण कर अधिकतम *15* दिवस के अंदर पक्षकार को प्रदान की जावें।

7. जिन मामलों में आपत्ति प्राप्त होती है उन्हें पंचायत सचिव/पटवारी द्वारा विवादग्रस्त प्रकरण मानकर प्रतिवेदन लगाकर निराकरण हेतु दावे आपत्ति प्राप्त होने के *7* दिवस के भीतर प्रकरण निराकरण हेतु संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार को भेजकर रीडर से पावती प्राप्त कर रिकार्ड में रखेंगे। साथ ही संबंधित पक्षकारों को अगली तारीख नियत कर उन्हें तहसील कार्यालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होने हेतु अवगत करायेंगे।

(हीरालाल त्रिवेदी)
प्रमुख राजस्व आयुक्त
भोपाल, दिनांक *4.5.2012*

पृ.क्रमांक *F-1/प्रराआ/2012/1429*

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख राजस्व आयुक्त
मध्यप्रदेश, भोपाल

खेतिहर श्रमिकों के लिये मजदूर सुरक्षा योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम ग्रामीण क्षेत्रों के खेतिहर मजदूर एवं उनके परिवार के लिये मजदूर सुरक्षा योजना की जानकारी दे रहे हैं।

मजदूर सुरक्षा योजना

उद्देश्य : खेतिहर मजदूरों तथा उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधारने के साथ ही उन्हें जरूरत अथवा मुसीबत के समय सुरक्षा प्रदान करना।

योजना का स्वरूप- योजना के तहत राज्य के *18* से *60* वर्ष आयु के खेतिहर मजदूरों के परिवार की स्त्री को प्रसूति व्यय और छह सप्ताह की मजदूरी का भुगतान, पति को पितृत्व अवकाश के साथ दो सप्ताह की मजदूरी का भुगतान, बच्चों को पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, पांचवीं कक्षा तथा उससे आगे तक प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार, विवाह सहायता योजना के तहत कन्याओं को छह हजार रुपये तथा आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभ दिये जायेंगे।

योजना का क्रियान्वयन- इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में पंजीयन हेतु आवेदन ग्राम पंचायत को पांच रुपये नकद शुल्क के साथ प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन के बाद फोटो परिचय-पत्र, जिसमें परिवार का विवरण होगा, दिया जायेगा। भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों के परिवार में पंजीबद्ध लोगों में पति और उसकी पत्नी, बच्चे, माता-पिता, विधवा अथवा परित्यक्ता पुत्री माने जायेंगे।

योजना का लाभ कैसे लें - पंजीकृत खेतिहर मजदूर पंचायत सचिव को *10* रुपये शुल्क और पासपोर्ट आकार के दो फोटो के साथ आवेदन प्रस्तुत करें।

सम्पर्क- जिला स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास कार्यालय पात्र खेतिहर मजदूरों को योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

बलराम ताल योजना

उद्देश्य- वर्षा के बह जाने वाले जल की अधिकतम मात्रा खेतों में रोककर उससे सिंचाई करने के लिये बलराम ताल योजना प्रारंभ की गई।

योजना का स्वरूप- खेतों में बलराम ताल निर्माण के लिये *25* प्रतिशत अनुदान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा *50* हजार रुपये होगी।

पात्र हितग्राही- *25* मई, *2007* के बाद पंजीकृत प्रकरणों पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

सम्पर्क- कृषि विभाग का स्थानीय कार्यालय।

विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

उद्देश्य- सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों में शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।

योजना का स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश। कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट दी जायेगी।

पात्र हितग्राही- *1.* प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों ग्वालियर

एवं जबलपुर के अधीन कृषि महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र/छात्रायें जो कि म.प्र. के वास्तविक मूल निवासी हैं तथा जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय *42,000* रुपये से अधिक न हो, को शिक्षण शुल्क में छूट प्राप्त करने की पात्रता होगी।*2*. विद्यार्थी द्वारा संस्था छोड़ देने/पढ़ाई चालू न रखने अथवा अन्य कोई स्रोत से शिक्षण में छूट प्राप्त कर लेने पर यह सुविधा बंद कर दी जायेगी।

3. उम्मीदवार को यह छूट केवल पाठ्यक्रम अवधि के लिये देय होगी। उम्मीदवार को यह छूट पाठ्यक्रम अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने पर ही जारी की जायेगी। अनुत्तीर्ण उम्मीदवार को उस वर्ष छूट की पात्रता नहीं होगी।

सम्पर्क- संस्था प्रमुख/अधिष्ठाता कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर/जबलपुर।

फीडर विभक्तिकरण

प्रदेश में दो साल बाद गांवों की घरेलू बिजली में कटौती इतिहास की बात होने जा रही है। एक जनवरी, *2013* से ग्रामीण क्षेत्रों की घरेलू बसाहटों के सभी फीडरों को प्रतिदिन *24* घंटे तथा कृषि पंपों को कम से कम आठ घंटे विद्युत प्रदाय किया जायेगा। फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत *11* के.व्ही. के कुल *6* हजार *552* ग्रामीण फीडरों को विभक्त किया जायेगा। इसमें से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा ए.डी.बी. योजना के तहत *1625* फीडरों और फीडर सेपरेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में *1970* तथा द्वितीय चरण योजना अंतर्गत शेष *2957* फीडरों को विभक्त किया जाना शामिल है। प्रथम तथा द्वितीय चरण योजना के अंतर्गत लगभग *4261* करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये राज्य शासन द्वारा फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत कृषि एवं घरेलू बसाहटों के लिये फीडर अलग-अलग किये जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये पारित संकल्प *2010* के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बसाहटों के लिये *24* घंटे विद्युत प्रदाय करने तथा कृषि कार्यों के लिये आठ घंटे विद्युत प्रदाय हेतु फीडर विभक्तिकरण योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा किये गये आकलन के अनुसार प्रदेश में *11* के.व्ही. के कुल*6852* फीडरों पर विभक्तिकरण के कार्य किये जाने हैं। राज्य शासन द्वारा फीडर विभक्तिकरण के लिये दी गई सहायता, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा ए.डी.बी. ऋण अंतर्गत अभी तक *300* फीडरों के विभक्तिकरण के कार्य किये गये हैं। शेष *6552* फीडरों में से ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा ए.डी.बी. ऋण अंतर्गत कुल *1625* फीडरों के काम किये जायेंगे। शेष फीडरों के कार्य के लिये दो चरणों में योजना विभाजित की गई है। इसमें से फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत प्रथम चरण में *1970* तथा द्वितीय चरण योजना अंतर्गत *2957* फीडरों को विभक्त किया जायेगा।

प्रथम चरण की योजना में कुल *1970* फीडरों का कार्य जून, *2012* तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है। इन योजनाओं के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से *1834* करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत हो गया है। इस ऋण के लिये राज्य शासन द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को दी जाने वाली गारंटी का अनुमोदन हो गया है। फीडर

विभक्तिकरण के कार्यों के लिये सभी निविदाएं जारी कर एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। साथ ही कार्यादेश भी जारी कर दिये गये हैं। शीघ्र ही मैदानी स्तर पर कार्य शुरू किया जा रहा है।

इसी प्रकार द्वितीय चरण की योजना अंतर्गत शेष *2957* फीडरों के लिये एशियाई विकास बैंकों से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। इसके लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा सहमति प्रदान की गई है तथा निविदा आदि से संबंधित कार्यों के लिये ए.डी.बी. द्वारा सलाहकार की नियुक्ति भी की गई है। इनकी सहायता से निविदा प्रपत्र आदि तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। द्वितीय चरण की योजनाओं को दिसंबर, *2012* तक पूर्ण किये जाने का कार्यक्रम है। ए.डी.बी. द्वारा द्वितीय चरण की योजनाओं के लिये योजना का *80* प्रतिशत (*400* मिलियन यू.एस. डॉलर-लगभग *1840* करोड़ रुपये) ऋण प्रदान किया जायेगा। शेष *20* प्रतिशत काउंटर फंडिंग के लिये राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किये जाने का अनुमोदन भी दे दिया गया है।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें - नवम्बर 11)

जनपद पंचायत की स्थाई समिति की बैठक

जनपद पंचायत की स्थाई समितियों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। इन समितियों की होने वाली बैठक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इन बैठकों का कोरम पूरा होना जरूरी है जो सभापति को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा। समिति की बैठक में विषय सूची में आये विषयों पर ही चर्चा की जायेगी। यदि चर्चा का विषय एक से अधिक समितियों से संबंध रखता है तो उसे निर्णय हेतु जनपद पंचायत के समक्ष रखा जायेगा।

स्थायी समिति की बैठक का कोरम -

1. सभापति को मिलाकर सदस्यों की कुल संख्या का आधा होगा।

2. यदि गणपूर्ति न हो सकी तो पीठासीन अधिकारी ऐसे समय एवं तारीख के लिये स्थगित कर देगा जैसा वह उचित समझे। उसकी घोषणा भी तत्काल करेगा। यदि स्थगित सम्मेलन में गणपूर्ति न भी हो, तो पूर्व एजेंडा पर चर्चा एवं निर्णय लिये जा सकेंगे।

स्थायी समिति का सभापति -

सभापति सभी समितियों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में सदस्य उपस्थित सदस्यों में से किसी को सभापति मनोनीत कर लेंगे।

किया जाने वाला काम काज -

1. विषय सूची में आये विषयों पर ही चर्चा सीमित रहेगी अन्य किसी विषय पर पीठासीन अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही चर्चा की अनुमति होगी।

2. यदि चर्चा का कोई विषय एक से अधिक समितियों से संबंध रखता है, तो उसे निर्णय हेतु जनपद पंचायत के समझ भेजा जायेगा।

3. जनपद पंचायत को वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि से आगामी वित्त वर्ष के लिये समिति से संबंधित विषय की योजना का प्रारूप बनाकर जनपद पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना।

4. विषय से संबंधित योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना, गुणवत्ता का निरीक्षण करना, एवं पर्यवेक्षण आदि।

5. विषय से संबंधित योजना का विस्तार के संबंध में विचार करना।

स्थायी समिति का सचिव -

स्थायी समिति का सचिव ही स्थायी समिति की बैठक में भाग ले सकता है।

बैठक के समय सचिव की मुख्य जिम्मेदारी है कि वह -

- बैठक में चर्चा के लिए रखे गये विषयों पर समिति के सदस्यों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाए।
- बैठक में चर्चा के लिए रखे गये विषय पर पंचायत एवं समिति के अधिकारों को स्पष्ट करे।
- बैठक में रखे गये विषय पर समिति क्या फैसला नहीं कर सकती है यह बतायें या अवगत कराएँ।
- अगर बैठक में समिति ने ऐसा फैसला लिया है जो अधिनियम के प्रावधान या अधिनियम से जुड़े नियमों या किसी अन्य नियम कानून की भावना के खिलाफ हो तो समिति का सचिव तुरन्त ऐसे प्रस्ताव की सूचना सी.ई.ओ. को उचित कार्यवाही के लिये देंगे।

सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर अन्य समितियों के सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। सामान्य प्रशासन समिति का सचिव स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा। स्थायी समिति का सचिव जब तक कि उसे विशेष

रूप से प्रतिबंधित न किया जाये तो बैठक में भाग ले सकेगा एवं प्रस्तुत विषयों पर चर्चा एवं जानकारी दे सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सभी बैठकों में भाग ले सकता है।

स्थायी समिति की बैठक में फैसला -

1. बैठक में उठाये प्रश्नों का निर्णय समिति के मतैक्य के आधार पर होगा। परन्तु यदि किसी प्रश्न पर मतभेद हो तो पीठासीन अधिकारी उस पर मत लेगा।

2. स्थायी समिति के सभी निर्णय प्रारूप *2* के अनुसार रजिस्टर में लिखे जावेंगे।

3. विषय के पक्ष एवं विपक्ष के नाम विषयवार कार्यवाही पुस्तक में लिखे जावेंगे।

जनता को बैठक में प्रवेश -

स्थायी समिति के सम्मिलन में सामान्यजन को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

स्थायी समितियों की कार्यवाही -

1. प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही देवनागरी लिपि में कार्यवाही रजिस्टर में लिखी जावेगी एवं उस पर अध्यक्षता कर रहे सभापति अथवा सदस्य के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कार्यवृत्त की प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भेजेगा। वह इस कार्यवाही के प्रतिवेदन का अगली जनपद पंचायत की बैठक में सूचनार्थ रखेगा।

हित रखने वाला सदस्य -

अगर जनपद पंचायत की स्थायी समिति जिन विषयों पर फैसला कर रही है और उसके फैसले से समिति के किसी सदस्य को लाभ या हानि हो रही है तो ऐसे सदस्य को उस समिति की संबंधित बैठक और बैठक से हित रखने वाला सदस्य माना जाएगा।

1. यदि कोई सदस्य चर्चा के विषय में स्वयं कोई आर्थिक हित रखता हो तो वह उससे अपेक्षा करता है कि वह चर्चा में भाग लेगा एवं यदि उस संबंध में मत लिया जा रहा हो, तो मतदान में भाग नहीं लेगा।

2. सभापति या पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य से यह मांग कर सकता है अनुरोध कर सकता है कि वह चर्चा में भाग न ले, मत न दे अथवा अच्छा हो कि वह अनुपस्थित हो जाये।

3. सभापति ऐसे सदस्य को चर्चा में भाग लेने या मतदान करने से भी रोक सकता है।

4. ऐसा हित रखने वाला सदस्य फैसले को चुनौती दे सकता है। व्यक्ति ऐसे फैसले को चुनौती देता है तो इस संबंध में निर्णय बहुमत से होगा।

5. सदस्य द्वारा चुनौती दिए जाने पर सभापति इस बात को समिति के सभी सदस्यों के सामने रखेंगे और इस संबंध में फैसला बहुमत से होगा और यह फैसला अंतिम होगा।

6. जनपद पंचायत की स्थाई समिति जब एक बार किसी विषय पर कोई फैसला ले ले तो।

7. यदि ऐसी ही स्थिति अध्यक्षता कर रहे पीठासीन अधिकारी के बारे में सदस्यों को ज्ञात होती है तो वे भी बहुमत के द्वारा उसे बैठक की अध्यक्षता नहीं करने हेतु निर्णय ले सकते हैं एवं अन्य किसी व्यक्ति को बैठक की अध्यक्षता करने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

समिति द्वारा लिए गए फैसलों पर दुबारा विचार -

सामान्यतः लिये गये निर्णय पर *6* माह के भीतर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि -

1. जनपद पंचायत के तीन-चौथाई सदस्यों की लिखित सहमति न हो;

2. कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रस्ताव लिखित मांग पर पुनर्विचार के आदेश न दिये हों।

महत्वपूर्ण प्रावधान -

- स्थायी समिति के सभापति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- समिति के गठन संबंधी विवाद को धारा *122* के अंतर्गत निर्वाचन याचिका के माध्यम से प्रश्नगत किया जा सकता है।
- सामान्य प्रशासन समिति या स्वयं स्थायी समिति के सभापति को समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को बदलने का अधिकार नहीं है।
- पंचायत पदाधिकारी का निलंबन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न दशाओं में किया जा सकेगा। राज्य शासन की पुष्टि के पश्चात् ही किया जावेगा। यदि वह -
  - भारतीय दण्ड विधान की धाराओं के अंतर्गत।
  - खाद्य सामग्री, औषधि आदि में मिलावट।
  - बच्चों तथा स्त्रियों के संबंध में अनैतिक व्यापार।
  - नागरिक अधिकारों के संरक्षण का उल्लंघन करने पर।

पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु यह भी निर्देशित किया गया है कि सामान्य सभा एवं स्थायी समितियों द्वारा पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों का सार-संक्षेप संबंधित पंचायतों के सूचना फलक पर लगाया जायेगा। निर्णयों का रजिस्टर आम जनता के अवलोकन हेतु निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई निर्णयों की प्रतिलिपि चाहते हैं तो निर्धारित शुल्क जमा करने पर वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस बाबत भी सूचना, बोर्ड पर लगायी जानी चाहिये।

रिक्त भूमि पर यूकेलिप्टस पौधे लगायें

ग्रीष्म ऋतु में खाली पड़ी भूमि या मेड़ों में नीलगिरी या यूकेलिप्टस के पौधे रोप सकते हैं। यूकेलिप्टस के पौधे पर्यावरण संरक्षण में बहुत प्रभावी हैं। यह पौधे मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि, ह्यूमस में बढ़ोत्तरी, पोषक तत्वों के चक्रण और जीवाणुओं की क्रिया को बढ़ाकर जमीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं और जमीन के अंदर नमी को संरक्षित कर भूजल स्तर को भी बढ़ाते हैं। इसकी जड़ें गहरी होती हैं जिससे मृदा का कटाव भी रुकता है।

पंचों, पड़ती भूमि जहाँ किन्हीं कारणों से आप फसलों की खेती नहीं कर पा रहे हैं, या खेत की मेड़ों में, नीलगिरी या यूकेलिप्टस के पौधे रोप कर, आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बीज से तैयार किये गये पौधे रोपने पर, उनकी बाढ़ समान रूप से नहीं हो पाती। एक ही भूमि एवं समान रख रखाव में भी पौधों की वृद्धि में एकरूपता नहीं होती। जहां अधिकतर पौधे आड़ी तिरछी वृद्धि करते हुये कमजोर दिखते हैं, वहीं कुछ पौधे सीधे विकसित होते हुये, अच्छी वृद्धि करते हैं। ऐसे वृक्षों को धन वृक्षों की मान्यता देते हुये, उन्हें भूमि सतह से लगभग एक फीट ऊंचाई से काट दिया जाता है, फिर उनमें निकली हुई कोमल शाखाओं की कलम काट कर, उनसे मिस्ट चेम्बर में नियंत्रित तापमान, नमी, प्रकाश एवं हवा का प्रवाह एक मानक स्तर पर रखते हुये पौधे तैयार किये जाते हैं। इन्हें ही क्लोन कहा जाता है। यह एक अनुवांशिक श्रेष्ठ प्रजाति है, इनकी वृद्धि में एकरूपता होती है, तथा बीमारियों के प्रति इनमें प्रतिरोधक क्षमता होती है।

आइये अब यूकेलिप्टस के सम्बन्ध में कुछ भ्रान्तियां एवं वास्तविकताओं से आपका परिचय करायें - प्रायः लोगों के मन में यह भ्रान्ति रहती है कि यूकेलिप्टस के वृक्ष ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इसकी जड़ें भूमि के अन्दर लगभग दस फीट की गहराई तक जाती हैं। इसकी तुलना में अन्य प्रजातियां सूखी लकड़ी के उत्पादन हेतु ज्यादा पानी का उपयोग करती हैं। एक और भ्रान्ति कृषकों के बीच रहती है कि यूकेलिप्टस की पत्तियां गिरने से जमीन में उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यूकेलिप्टस की पत्तियों में यूकेलिप्टस तेल पाया जाता है, जो पत्तियां झड़ने के बाद शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है। इससे मिट्टी में कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। एक और भ्रान्ति किसानों के मन में जमी हुई है कि, यूकेलिप्टस वृक्षों के नीचे कोई वनस्पति नहीं उगती, जबकि वास्तविकता यह कि यूकेलिप्टस वृक्षों के नीचे अधिकतर कृषि एवं उद्यानिकी फसलों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यूकेलिप्टस वृक्षों की छाया विरल होने के कारण फसलों के बाढ़ में सहायक होती है। इसकी फैली हुई क्षैतिज जड़ों के कारण मृदा का संरक्षण होता है, साथ ही जल स्तर में कोई कमी नहीं होती।

अन्ततः यूकेलिप्टस वृक्षारोपण के संबंध में यह वास्तविक तथ्य है कि उक्त प्रजाति के रोपण से कृषकों को आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिकीय लाभ होता है। मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि, ह्यूमस में बढोत्तरी, पोषक तत्वों का चक्रण और जीवाणुओं की क्रिया कलापों में वृद्धि से खाली पड़ी हुई बेकार भूमि की उत्पादन क्षमता निरंतर पुनर्जीवित होती रहती है। कोई भी हरियाली मृदा की ऊपरी सतह और जमीन के अन्दर की नमी को संरक्षित करती है। इस प्रकार यूकेलिप्टस भी पर्यावरण संरक्षण में बहुत प्रभावी है। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण और इससे प्राप्त लकड़ी से प्राकृतिक वनों पर पड़ने वाले जैविक दबाव में कमी आती है।

शहडोल जिले में, अमलई में ओरिएन्ट पेपर मिल्स् (ओ.पी.एम.) का कागज कारखाना स्थित है। जिसमें कच्चे माल के रूप में

यूकेलिप्टस का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। किसानों को यूकेलिप्टस के रोपण हेतु संस्था द्वारा क्लोनल पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं एवं विशेषज्ञों द्वारा खेतों पर पहुंच कर तकनीकी मार्गदर्शन निःशुल्क दिया जाता है। क्लोन पौधे तैयार करने की पूरी प्रक्रिया वानिकी विशेषज्ञ श्री के.एन. मिश्रा एवं महाप्रबंधक (कच्चा माल) डॉ. संजय त्रिपाठी की निगरानी में सम्पन्न होती है। यूकेलिप्टस के तैयार लकड़ी के विक्रय हेतु ओ.पी.एम. किसानों को एक सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराता है। वृक्षारोपण के पूर्व किसान चाहे तो संस्था से विक्रय हेतु अनुबंध कर सकते हैं। अनुबंध की विशेषता यह है कि ज्यादा मूल्य मिलने पर किसान अपना माल कहीं पर भी विक्रय कर सकता है लेकिन संस्था को विक्रय करने पर, तत्समय प्रभावी मूल्य पर संस्था क्रय करने हेतु बाध्य रहती है। शहडोल से लगे हुये उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी एवं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, अम्बिकापुर, कोरिया, इत्यादि जिलों के किसानों के लिये यूकेलिप्टस के वृक्षारोपण तैयार कर, बेहतर लाभ लेने के लिये यह अच्छा अवसर है। पौध रोपण के लगभग छः वर्षों बाद, वृक्ष विक्रय हेतु पहली कटाई के लिये तैयार हो जाते हैं, एवं प्रति एकड़ सभी खर्चे काट कर लगभग *40* हजार रुपये का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

अदरक की खेती – ज्यादा लाभ देती

पंचों, इस समय जायद या ग्रीष्म काल की फसलों एवं सब्जियों की आपकी बाड़ियों एवं खेतों में अच्छी हरियाली है। मूंग उड़द, सूर्यमुखी, मूंगफली इत्यादि फसलें अपनी बढ़वार की अवस्था में हैं। कहीं-कहीं पहले बोई गई फसल फूल की अवस्था में आ रही है। सब्जियों में भिण्डी एवं सभी बेल वाली सब्जी फलने-फूलने की अवस्था में हैं, कंद वाली सब्जियों में अदरक एक महवत्पूर्ण फसल है जिसे अपनाकर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह समय अदरक की बोनी के लिये उपयुक्त है। अपनी बाड़ी में अदरक को अवश्य स्थान दें, आज की चौपाल में हम अदरक की खेती पर विशेष चर्चा करेंगे।

अदरक की फसल की खेती का मूल मंत्र, इसकी समय पर बुवाई है। कंद वाली फसल होने के कारण गहराई तक भूमि का भुरभुरा होना आवश्यक है। भूमिगत कीटों से सुरक्षा के लिये, खेत की तैयारी करते समय फोरेट *10* जी. चार-पांच किलो प्रति एकड़ अच्छी तरह मिट्टी में मिलायें, फोरेट को सूखी बालू या रेत के साथ मिलाकर समान रूप से खेत में छिटका जा सकता है। लाल तिकोन के निशान वाला यह कीटनाशक अत्यधिक विषैले की श्रेणी में आता है। अतः प्रयोग के समय पर्याप्त सुरक्षा के उपाय अपनायें। लगातार दूसरी बार यदि उसी भूमि में अदरक बो रहे हों तो जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा विरिडी तीन-चार किलो प्रति एकड़ मिट्टी में अच्छी तरह मिलायें, एक ही स्थान पर तीसरी बार लगातार अदरक की बोनी करें। अदरक की फसल में कंद सड़न की बीमारी से ज्यादातर नुकसान होता है। इसलिये यह सावधानी रखना आवश्यक है।

अच्छी तरह खेत तैयार कर सुविधाजनक क्यारियां एवं सिंचाई नालियां बना लें लगभग *8* क्विंटल प्रति एकड़ बीज की जरूरत पड़ती है। उन्नत किस्में-सुप्रभा सुरुचि, सुरभि या स्थानीय किस्मों का चुनाव करें। बोने के पूर्व कंदों को उपयुक्त आकार एवं वजन

(लगभग *2* इंच लंबाई एवं *25* से *30* ग्राम वजन) के अनुसार तोड़ लें। कृषि रसायन की फफूंदनाशक क्रिलैक्सिल (मेटालैक्जिल) एवं मैकोजेब *64* प्रतिशत *2*(दो) ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कंदों को एक घंटे तक डुबा कर उपचारित कर लें। फिर छाया में सुखा कर, कूंडों में एक-एक बीता (*25-30* से.मी.) की दूरी पर रखकर मिट्टी में दबायें। एक कूंड से दूसरे कूंड की दूरी लगभग डेढ़ हाथ (*75* से.मी.) रखें। भरपूर पैदावार के लिये खेत की तैयारी के समय देशी गोबर की खाद *8-10* ट्रैक्टर ट्राली प्रति एकड़ प्रयोग करें। इसी समय लगभग एक बोरी यूरिया लगभग चार बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं लगभग डेढ़ बोरी पोटाश प्रति एकड़ डाल कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलायें। लगभग दो माह की फसल में एक बोरी यूरिया का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करें। ध्यान रखें भरपूर उपज के लिये फसल को पर्याप्त पोषण आवश्यक है।

बोनी के तुरंत बाद पलाश या छूला के पत्तों की पलवार (मल्चिंग) करें, इससे मिट्टी में नमी के संरक्षण के अलावा खरपतवार या नींदा भी नियंत्रित होगा। बाद में ये पत्ते सड़कर मिट्टी में जीवांश की वृद्धि करते हैं। समय-समय पर फसल की निंदाई-गुड़ाई करें। साफ खेत में कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। फसल की बढ़वर की अवस्था में रसचूसक कीटों के नियंत्रण के लिये इमिडाक्लोप्रिड (जोश) *17.8* प्रतिशत एस.एल. *5* मि.ली. प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। उपरोक्त विधियां अपनाकर निश्चित रूप से आप अदरक की खेती से भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

❑ भानुप्रताप सिंह

पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने के उपाय हों

अनूपपुर से रामआसरे टेकाम ने ग्रामीण विकास में विदेशी सहायता और विदेशी पैसे के सीमित उपयोग की सलाह दी है तो मन्दसौर के रमेशचन्द्र कारा ने गेहूँ उपार्जन में अव्यवस्था से भविष्य में सबक लेने की बात कही है। जनपद मुख्यालय रामा (जिला झाबुआ) के वेरसिंह रावत ने आदिवासी क्षेत्रों में कृषि से जुड़े फसल चक्र के बदलाव के बारे में पत्र लिखा है। आपके मन में भी पंचायतों अथवा ग्रामीण विकास को लेकर कोई विचार अथवा सुझाव हो तो हमें पत्र अवश्य लिखें।

विदेशी सहायता का सीमित उपयोग हो

सम्पादक जी! पिछले दिनों दिल्ली में प्रदेश की प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा ने यू.एन.डी.पी. (यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट) की भारत स्थित राष्ट्र प्रमुख केथालिन बिसन से चर्चा की। ग्रामीण विकास के लिये विदेशी सहायता और विदेशी पैसा मिले यह अच्छी बात है मगर हमारा मानना है कि विदेशी सहायता का सीमित उपयोग प्रदेश की पंचायतों को आसानी से स्वावलम्बी बनायेगा।

रामआसरे टेकाम
सामाजिक कार्यकर्ता, अनूपपुर (म.प्र.)

आदिवासी फसल चक्र में बदलाव लायें

सम्पादक जी! अब मध्यप्रदेश के पश्चिमी इलाके में रहने वाले आदिवासी केवल मानसूनी बारिश पर निर्भर नहीं हैं अब इस क्षेत्र में जल संग्रहण की व्यापक व्यवस्था और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने से धार-झाबुआ-बड़वानी जिलों में आदिवासी किसानों को फसल चक्र में बदलाव लाने की प्रेरणा देनी चाहिए। अब सिंचाई सुविधा हो जाने से आदिवासी किसान भी जरूरी फसलें उगा सकते हैं।

वेरसिंह रावत
ग्राम - रामा (जिला झाबुआ)

अव्यवस्था से सबक लेना ही ठीक होगा

सम्पादक जी! भरपूर बोनस राशि के साथ इस बार प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बड़ी मात्रा में गेहूँ का उपार्जन एक अच्छी खबर है और इस साल सरकार ने गेहूँ उपार्जन की तमाम व्यवस्था को भी हाईटेक बनाया। यह एक अच्छी बात है मगर इस साल इस अभियान में जो अव्यवस्थाएं थीं उससे यदि शासन प्रशासन सबक ले तो उससे भविष्य में गेहूँ उपार्जन अभियान के सुचारू संचालन में मदद ही मिलेगी।

रमेशचन्द्र कारा
जनता कॉलोनी, मन्दसौर

चिट्ठी चर्चा

नशामुक्ति योजनाओं से स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ें

झिरी जामली (जिला बड़वानी) से मेहताबसिंह ने अपनी चिट्ठी में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशामुक्ति के दिशा में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। मेहताबसिंह जी का मानना है कि इकत्तीस मई को अन्तर्राष्ट्रीय तम्बाकू एवं धूम्रपान निषेध दिवस पर और छब्बीस जून को अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर विभागीय अमले की सक्रियता से इस दिशा में काफी काम हो रहा है मगर इन सरकारी प्रयासों में जब तक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं अथवा गायत्री शक्ति पीठ जैसी आध्यात्मिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाएगा उस दिशा में ज्यादा सफलता की अपेक्षा नहीं है फिर भी समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रमुख सचिव और आयुक्त पंचायत राज संचालनालय की सोच से उम्मीद तो बंधती है।

गुढ़ (जिला रीवा) से रामाधारसिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गाँव-गाँव में सृजन मेलों के आयोजन की सराहना की है। कुशवाहा जी का मानना है कि जन अभियान परिषद जैसी सक्षम स्वयंसेवी संस्थाएं यदि गाँव में सक्रिय ऐसे जानकारों को जिन्हें पारम्परिक ज्ञान है और जो अपने पारम्परिक ज्ञान से गाँव के विकास को गति दे सकते हैं उन्हें सृजन मेलों में प्रोत्साहन देने से वे गाँव के विकास में काफी सहायता कर सकेंगे। रीवा जिला मुख्यालय से ही एक चिट्ठी हमें नमो नारायण मिश्रा की भी मिली है जो 'खेती किसानी' स्तम्भ में उपयोगी सलाह देने वाले हमारे सुयोग्य लेखक भानुप्रताप सिंह के बड़े प्रशंसक हैं। मिश्रा जी ने इस स्तम्भ को किसानों का सच्चा मार्गदर्शक और उपयोगी साथी बताया है।

तिलगारा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिलने पर धार से मिलिन्द सुपेकर ने हमें बधाई पत्र भेजा है और धार जिले में पंचायतों द्वारा किये जाने वाले नवाचारों पर एक पुस्तक के प्रकाशन की माँग भी की है। मिलिन्द का मानना है कि आदिवासी आबादीबहुल धार जिले में निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, विशेष रूप से महिला पंचायत प्रतिनिधियों का काम वाकई सराहनीय रहा है।

❑ शुभम दुबे

बात पते की -

मेहनत का फल

'मनरेगा' वरदान बन गया,
आसान हुआ 'उद्यान' लगाना।
'नन्दन फलोद्यान' फले-फूले तो-
मेहनत का फल मीठा जाना।।

- प्रदीप शुक्ला, देवास

माह का पत्र

बारिश से पहले बने आंतरिक मार्ग

सम्पादक जी! गाँवों में रोजगार की गारंटी देने वाली 'मनरेगा' योजना के अंतर्गत सबसे लोकप्रिय उपयोजना है - मुख्यमंत्री आंतरिक मार्ग योजना। प्रदेश के हजारों गांवों में इस योजना के तहत आंतरिक मार्गों का निर्माण हो रहा है। हाल ही में कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने विभाग का ध्यान इस ओर खींचा है कि इन मार्गों को बारिश के पहले बनाया जाये।

विनोद शर्मा
एफ *305*, राजहर्ष कॉलोनी, भोपाल

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

मई *2012* के लिए इस बार विषय है -

क्या आपकी ग्राम पंचायत में गेहूँ का भंडारण हो चुका है?

माह की कविता

जल से ज़िन्दगी खिली-खिली

फिर आयेंगे काले बादल।
भर लायेंगे 'अमृत जल'।।
तुम सहेजना भूल न जाना-
'जल' होगा तो होगा 'कल'।।

नदी-नाले, तालाब भरेंगे।
बरसे मेघ तो खूब बहेंगे।।
तुम सहेज कर रखना इसको -
हरियाला ये संसार रचेंगे।।

जल से जंगल खूब फलेंगे।
पशु पक्षी वन्य जीव बढ़ेंगे।।
पर्यावरण संतुलित होगा-
मौसम भी अनुकूल रहेंगे।।

जल से बांध, बांध से बिजली।
जल से फूल, फूल से तितली।।
जल ने हर लीं सब विपदाएं -
जल से ज़िन्दगी खिली-खिली।।

सतह पे जल, भूगर्भ भरा हो।
जल से भूतल भी हरा भरा हो।।
जल का जीवन का साथ हो जब,
महुरत में जैसे लगनसरा हो।।

व्यंकटेश शारदा
भोपाल

हमारा पता

सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
***40,* प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,**
भोपाल - *462011*
फोन : *2764742, 2551330*
फैक्स : *0755-4228409*

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल